राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10| चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का बारहवां दिवस |संख्या: 9

शुक्रवार,

16 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम-राम, साहब। नमस्कार, नमस्कार। प्रश्न काल। श्री फूलसिंह मीणा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर के मीरा नगर में खुले नाले को ढ़कने की योजना

147. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय उपयोग के लिए कालोनियां बनाई जाती हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितनी आवासीय कॉलोनियां बनाकर आबंटित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत भुवाणा के मीरा नगर में नालियों की निकासी सही नहीं होने एवं बड़ा नाला खुला होने से उसमें मवेशी गिर जाते हैं? क्या सरकार उक्त नालियों का लेवल देखकर मरम्मत कराने व बड़े नाले को ढ़कने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) जी हां। हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय उपयोग हेतु कालोनियां बनाकर पंजीकृत आवेदकों को आवास आबंटित किये जाते हैं।

आवासन मण्डल द्वारा उदयपुर ग्रामीण में बनायी गयी कालोनियों का पंचायत वार विवरण निम्नानुसार है:-

(स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)

क्र.सं. पंचायत का नाम	**योजना का नाम**
1. बलीचा	1. गोवर्धन विलास, उदयपुर
	2. गोवर्धन विलास, विस्तार
	3. दक्षिण विस्तार
2. सवीना	1. सविना, प्रथम, उदयपुर
	2. सविना द्वितीय, उदयपुर
3. भुवाणा	भुवाणा, उदयपुर

(2) ग्राम पंचायत भुवाणा में मीरा नगर नाम की कालोनी है, जिसमें 250 मीटर लम्बाई 1.35 मीटर चौड़ाई एवं 1.5 मीटर गहरा नाला बना हुआ है। न्यास द्वारा उक्त नाले को समय-समय पर सफाई किये जाने के दृष्टिगत रखते हुए इसे कवर ना करते हुए इसकी दीवार को ऊंचा करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है जिससे इसमें मवेशियों को गिरने से रोका जा सकेगा। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नाले/नालियों एवं सड़क की मरम्मत हेतु दिनांक 12.02.2018 को राशि रू. 64.49 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि चार साल से मैं हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों के लिए लड़ रहा था, यूआईटी के पैराफेरी एरिया में कालोनियां बनी हुई हैं उसके लिए। मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वर्षों से जो मांग आ रही थी और 64.49 लाख रुपये आपने देकर जनता के लिए बहुत हित का काम किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से व जनता की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं। मगर आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस कालोनी के अंदर ना तो लाइट देखने वाला आता है और ना ही साफ-सफाई वाला कोई आता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन कालोनियों के लिए, यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड में सफाई व लाइट व्यवस्था करवाने का आप श्रम करवाएं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दिखने में भले ही कैसे हों लेकिन बहुत सीधे आदमी हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दिखने में कैसे हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): दिखने में थोड़े खतरनाक है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, यह डिलिट कराइये, यह रिकार्ड में जाएगा। आने वाली पीढियां पढ़ेंगी कि ऐसे खतरनाक-खतरनाक लोग भी सदन के सदस्य बने हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, खतरनाक शब्द इस्तेमाल किया है वह डिलिट कराएं।

श्री अध्यक्ष: अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए मैं डिलिट नहीं कराऊंगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विद्युत व सफाई व्यवस्था की बात की है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि भुवाणा योजना में विद्युत सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु 3.37 लाख स्वीकृत किए जाकर कार्यादेश जारी कर दिए गये हैं। राजस्थान आवासन मण्डल की भुवाणा आवासीय योजना में साफ सफाई हेतु तत्कालीन रूप से आवश्यक राशि का आबंटन राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नगर निगम को स्थानान्तरित कर व्यवस्था कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे, इस बात का मैं अपनी ओर से आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं ।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: वह तो कर चुके आप।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): फिर और करता हूं। मेरे पानेरियो की मादड़ी के अंदर, वर्षों से किसानों की जमीन लेकर पट्टे नहीं दिए गये थे उसके भी आपने इसी वर्ष पट्टे देकर किसानों को जो तोहफा दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी के मार्फत मैं आपसे एक क्वेश्चन और अनुरोध करता हूं कि यूआईटी की पैरीफेरी एरिया में कालोनियां जो पंचायतों में बनी हुई हैं, ग्राम पंचायत भुवाणा, सौभागपुरा, भोइवाड़ा, पोइयो की

(श्री फूलसिंह मीणा)

पचौली, मनवा का खेडा, तीतरडी, डाकनकोटला, सवीना ग्रामीण, देवाली, बलीचा, सिसारमा और बड़ी यूआईटी की इतनी कालोनिया बन गई हैं, इसमें भी यही समस्या है कि ना तो साफ सफाई वाले आते हैं ना ही लाइटों की व्यवस्था है, ना ही रोड व नालियों का कुछ होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह शहर नगर निगम के पास बसी हुई कंवर्ट कालोनियां हैं, शहर के लायक कालोनियां बन गई हैं मगर पंचायत के पास बजट नहीं होने की वजह से यह सारी सुख सुविधा नहीं मिल पाती है। संसाधन की कमी होती है। पंचायत यह काम नहीं कर पाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से...

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): प्रार्थना करता हूं कि इन कालोनियों को नगर निगम में जोड़कर यह सारी सुख सुविधा दिलवाने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि भुवाणा आवासीय योजना व इसके आसपास की योजनाओं को, पैरीफैरी में जो गांव है, निगम की सीमा में सम्मिलित करने के लिए जिला कलक्टर से परीक्षण प्रस्ताव प्राप्त कर लिए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में उसको उसमें शामिल करके इनकी जो सफाई, विकास की समस्या है उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न रामलाल शर्मा, यह उदयपुर ग्रामीण से संबंधित है। आप इधर उधर नहीं जाएंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उदयपुर जिले के अंदर हाउसिंग बोर्ड द्वारा कई जमीनों को अवाप्त करने का प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन होने के बावजूद हाउसिंग बोर्ड ने ना तो अभी तक उनको डवलप करने का काम

(श्री रामलाल शर्मा)

किया है, ना ही उनको अवाप्ति से मुक्त करने का काम किया। क्या हाउसिंग बोर्ड भविष्य में इस प्रकार की जो अवाप्त की हुई जमीन है उनको विकसित करने का विचार रखते हैं या उनको डिकवर करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): बोलूं साहब?

श्री अध्यक्ष: दे दीजिए जवाब, आपके पास हो तो, उदयपुर जिले का पूछ लिया इन्होंने।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह उदयपुर का नहीं, पूरे राजस्थान का प्रश्न है। इनके मन में तो चौमूं है और उदयपुर के नाम से बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब वह पुराना चौमूं नहीं रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): जी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब पुराना चौमूं नहीं रहा है, यह रामलाल जी का ... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह रामलाल जी का चौमूं हो गया। (व्यवधान) मन की बात कैसे जानते हो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मन की बात कैसे जानते हो ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मन की बात इसलिए कि मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान आवासन मण्डल ने सिर्फ उदयपुर की ही नहीं, पूरे राजस्थान में जो भी जमीनें एक्वायर की हैं उनका हम परीक्षण करवा लेंगे। आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से, चूंकि अभी हम नई 11 कालोनियां और लांच कर रहे हैं और इस बात का प्रयास करेंगे कि गरीबों को मकान मिले। आवश्यकता होगी ...(व्यवधान) विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री दलीचन्द डांगी।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं

(श्री दलीचन्द डांगी)

मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यूआईटी पैरीफेरी में मेरे गांव आते हैं वहां कालोनी, पट्टे के वितरण...

श्री अध्यक्ष: उदयपुर ग्रामीण से संबंधित ही कीजिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): बेडना पास ही हुकम, पास में ही पैरीफेरी में, बावड़ा के पास ही...

श्री अध्यक्ष: नहीं, पास-पास नहीं। विराजिए। (व्यवधान) जोगाराम जी बैठिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): पैरीफेरी पास आता है, ग्रामीण एरिया ही है उसमें पैरीफेरी में पट्टा देने की व्यवस्था की जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): साहब, इसको भी शामिल कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: बस ठीक है। शंकरसिंह जी राजपुरोहित, यह तो उदयपुर ग्रामीण से संबंधित है। विराजिए। अगला प्रश्न श्री भंवरसिंह।

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों का पी.पी.पी. मोड पर संचालन

148. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में गत चार वर्षों में राजकीय विद्यालयों को पी.पी.पी. मोड पर संचालित करने की अनुमति दी गई है? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजकीय विद्यालयों को पी.पी.पी. मोड पर देने के क्या उद्देश्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) Policy for Public Private Partnership in School Education, 2017 के अन्तर्गत अनुमति दी गई थी, परन्तु आदेश दिनांक 07.02.2018 द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता नीति 2017 के क्रियान्वयन को विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापन/आपत्तियों/सुझावों पर विचार कर राज्य सरकार को अनुशंसा किये जाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने एवं अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने तक सार्वजनिक निजी सहभागिता नीति

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

2017 के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। प्रदेश में निजी क्षेत्र के संचालन हेतु अभी तक कोई राजकीय विद्यालय निजी पार्टनर को नहीं दिया गया है।

(2) राजकीय विद्यालयों को पी.पी.पी. मोड पर दिये जाने के उद्देश्य/कारण/आधार Policy for Public Private Partnership in School Education, 2017 के बिन्दु संख्या 01 व 02 में उल्लेखित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल जो प्रश्न था मंत्री महोदय से, उस मूल प्रश्न में पी.पी.पी. मोड पर दी गई विद्यालयों की सूची व उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या विद्यालयवार पूछी गई थी, जिसका संख्यात्मक विवरण मंत्री महोदय के द्वारा जवाब में उल्लेख नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में प्रदेश में जो तीन सौ पी.पी.पी. मोड पर दिये जाने प्रस्तावित थे, उनकी छात्र संख्या, शिक्षकों की संख्या, भवन की स्थिति क्या थी और इन विद्यालयों में जो पी.पी.पी. मोड पर दिये जाने हैं, उन विद्यालयों को पी.पी.पी. मोड पर दिये जाने का माननीय मंत्री महोदय ने विवरण दिया है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या प्रदेश के तीन सौ विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं, जहां छात्र-छात्राओं की संख्या कम थी उनको पी.पी.पी. मोड पर दिया गया है, अथवा छात्र-छात्राओं की संख्या ज्यादा थी, उनको पी.पी.पी. मोड पर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अभी तक एक भी स्कूल नहीं दिया गया है और हमने सम्पूर्ण आपत्तियों और ज्ञापनों पर समिति का गठन किया है। बाकी जो जानकारियां इन्होंने मांगी हैं, वैसे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती, फिर भी मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के लिये कमिटेड है, इसीलिये पिछले आपके शासन के पांच वर्षों में रमसा या

(श्री वासुदेव देवनानी)

माध्यमिक शिक्षा में केवल मात्र 288 करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि हमारे चार सालों के अन्दर 1600 करोड़ से अधिक हम लोग इस पर खर्च कर चुके हैं। यदि इसमें एस.एस.ए. को भी गिनूंगा तो 1200 करोड़ और, 2898 करोड़ रुपये, हमने केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। इसीलिये शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ी ...(व्यवधान) वही, उसी पर आ रहा हूं।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में, हम चाहते हैं गुणवत्ता और बढ़े। फिर हमें लगा कि आर.टी.ई. के अंतर्गत असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग के कमजोर विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का प्रावधान है। देख रहा हूं कि हर साल उसके अन्दर ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं और सरकार उसमें प्रति विद्यार्थी का पेमेंट करती है। इसी प्रयोग को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, केवल पढ़ाई की आटोनोमी देने हेतु हमने मात्र 300 स्कूलों का सलेक्शन एक बार किया। उस सलेक्शन में भी बहुत सारी सावधानियां बरती हैं। मुझे ध्यान है, यदि माननीय सदस्य उसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ ध्यान में आयेगा कि राजस्थान के अन्दर 65 हजार से अधिक स्कूल हैं। उसमें टोटल 13685 सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर, डिविजनल हैड-क्वार्टर के स्कूलों को अलग किया, उसके साथ टोटल सीनियर सैकण्डरी स्कूलों को अलग किया, जिन स्कूलों को सरकार आदर्श स्कूल बनाना चाह रही है, जो प्रक्रिया में हैं, उनको हमने इससे दूर रखा। साथ के अन्दर, केवल 866 सीनियर सैकण्डरी स्कूल थे, डिस्ट्रिक्ट में उनको अलग किया। केवल बेलेंस 2527 स्कूल ऐसे बचे, जो इस सारी प्रक्रिया में, किसी में नहीं आ रहे थे, उनमें तत्काल कहीं न कहीं क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, इसके लिये केवल प्रयोग के तौर पर यह किया। प्रयोग के तौर पर जो आपने प्रश्न पूछा, सलेक्शन आफ स्कूल्स, वह मैंने कहा, उसमें दो-तीन बातों का ध्यान रखा। एक तो 2011 की सेन्सस, क्योंकि जब स्कूल अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो बच्चों की उपलब्धता तो चाहिए। यदि बच्चे ही वहां पर नहीं होंगे तो फिर क्वालिटी एजुकेशन किसको देंगे? फिर हमने कहा, जो स्कूलों का सलेक्शन किया, उसमें 2011 की ऐसी जनसंख्या जहां पर बच्चों की उपलब्धता हो और साथ में वहां लैण्ड भी उपलब्ध हो, जहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। यदि भूमि नहीं है तो वह 75 लाख का जो प्रावधान रखा हुआ था, तो वह उसको किस प्रकार बनाता। इन सारी बातों को देखकर, और स्कूलों की विद्यार्थियों की संख्या भी आपने पूछी है। मुझे उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उन 300 स्कूलों में

(श्री वासुदेव देवनानी)

से 235 ऐसे हैं, जिनमें 400 से कम वाली संख्या है। केवल चार सौ या साढ़े तीन सौ से ज्यादा के केवल 16 स्कूल हैं। बाकी, किसी में डेढ़ सौ भी है, किसी में पौने दो सौ भी हैं। ये अलग-अलग संख्या के स्कूल हैं। जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर का आपने पूछा, लगभग 258 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें पढ़ाई के लिये, जो आवश्यक कमरे हैं, उससे भी कम कमरे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सोचा। लेकिन आज भी मैंने जब सदन में कहा कि कई, मेरे पास इस पर लगभग 165 ज्ञापन आये, 650 से अधिक पोस्ट कार्ड आये। इन सारी बातों पर विचार करने के लिये हमने माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया। उसके आधार पर समिति का गठन हुआ है। आपको भी और कोई सुझाव या कुछ देना हो, वे भी सादर आमंत्रित हैं, हम सारे सुझावों पर सकारात्मक विचार करके निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार बनी है, पहले आर.टी.डी.सी. को पी.पी.पी. पर दिया, फिर रोडवेज को पी.पी.पी. पर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): फिर बिजली को पी.पी.पी. पर दिया। फिर चिकित्सा को पी.पी.पी. पर दिया। (व्यवधान) मदनजी, आप शांति रखिये।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, शांत रहें। रिलेवेण्ट हो तो जवाब दे देना।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मुझे लगता है कि यह पूरी सरकार धीरे-धीरे पी.पी.पी. की तरफ जा रही है। शिक्षा को और चिकित्सा को अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप शिक्षा के बारे में सवाल कीजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा शिक्षा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, शिक्षा के बारे में।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): शिक्षा और चिकित्सा पर मेरा निवेदन था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा का नहीं है सम्बन्ध। शिक्षा से है, शिक्षा मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप उसका सवाल पूछिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जो यह मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो आम आदमी के लिये जरूरी हैं। उनको भी अगर पी.पी.पी. पर अगर दे देंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के तीन सौ विद्‌यालयों को, मंत्री महोदय ने अभी जवाब में बताया है कि ये तीन सौ विद्‌यालय थे, जो प्रारम्भिक तौर पर पी.पी.पी. मोड पर दिये जाने के लिये इन्होंने प्रस्तावित किये थे। टेण्डर प्रक्रिया भी इन्होंने मांग ली थी। इसमें बीकानेर जिले के सात विद्‌यालय थे। उसमें नोखा का जो चाचा नेहरू माध्यमिक विद्‌यालय है, उसमें साढ़े चार सौ बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी गत साल ही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये, सवाल कीजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं मंत्री महोदय से सवाल करना चाहूंगा कि गत साल ही 37 लाख रुपये भामाशाहों ने खर्च करके और भामाशाहों के द्‌वारा जमीन देकर के एक सुन्दर स्कूल बना दिया गया था। चार सौ से भी ज्यादा बच्चे उस चाचा नेहरू सैकण्डरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहीं सांईसर, कक्कू, मानियाणा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्‌यालय बाना, डूंगरगढ़, राजकीय माध्यमिक विद्‌यालय आपासर, लूणकरणसर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्‌यालय, रायसर, बीकानेर, ये तमाम जो बीकानेर जिले के सात विद्‌यालय थे, जिनको पी.पी.पी. मोड पर इन्होंने देना प्रस्तावित किया, उसके खिलाफ जिस दिन इन्होंने आदेश निकाले, लगातार तालाबंदी रही। वहां शिक्षा निदेशक के आश्वासन के बाद करीब 10-15 दिन बाद वह तालाबंदी खोली गई। अब चूंकि मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से कमेटी बना दी।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिये, सवाल। भाषण नहीं, सवाल पूछिये आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): एक नया प्रश्न हो जाता। एक पूरा प्रश्न और नया होता, उतने समय में केवल ये भाषण दे रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल मंत्री महोदय से यही है कि सरकार पहले निर्णय लेती है फिर जनता का विरोध होता है पी.पी.पी. मोड पर देने का।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं आयेगा। सवाल पूछिये आप। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यही है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। (व्यवधान) नहीं, आपको सवाल पूछना हो तो पूछिये। भाषणबाजी नहीं। क्या मतलब है यह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक मिनट, मेरा सवाल यही है कि क्या सरकार पी.पी.पी. मोड पर दिये गये स्कूलों को वापस लेना चाहती है, अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष: बस, बैठिये आप। (व्यवधान) बैठिये आप।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे रहा हूं, जिस गुणवत्ता की चर्चा करते हैं, पिछले पांच सालों में आपका नामांकन सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार से बढ़ा है, परीक्षा परिणाम जिस तरह से इम्प्रूव हुए हैं, यह सरकार की मंशा को जाहिर करते हैं। 12 लाख तो केवल माध्यमिक सेट-अप में नामांकन बढ़ा है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पी.पी.पी. मोड का सवाल है, ये दूसरी बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये। ...(व्यवधान) जवाब आने दीजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसी से तो पी.पी.पी. मोड पर आऊंगा। पी.पी.पी. पर क्यों आये, ये गुण आपको बताऊंगा पहले क्या-क्या हो रहा है। इसलिये सरकार चाहती है, आपको ध्यान होगा कि गार्गी पुरस्कार में केवल 20-25 हजार बच्चियां आपके समय रहती थीं, आज एक लाख 26 हजार बच्चियां 75 प्रतिशत से अधिक आई हैं। यह गुणवत्ता में सुधार है। सरकार की मंशा है कि गुणवत्ता में तीव्र गति से सुधार हो। इसके आधार पर हमने आदर्श स्कूल, उत्कृष्ट यह सब किया है। उसी के तहत यह प्रयोग के तौर पर किया। फिर भी मैंने स्कूलों के लिए जो आपने कहा, संख्या होगी तो अधिक संख्या को ही तो गुणवत्तापूर्ण मिलेगी इसलिए संख्या का कोई क्राइटेरिया नहीं। हमने सारा उसमें पेनल्टी से लेकर इतना सारा रखा है। एक इंच जमीन भी किसी को नहीं दी जा रही थी, न दी जाएगी। यह सरकारी जमीन थी, सरकारी जमीन रहेगी। हमने तो केवल उनको आपरेटिव आटोनोमी का उसमें प्रावधान था। यह जो आया है कि 12 हजार करोड़ और अरबों की जमीन, कहीं भी, इन सारी स्कूलों की जमीन सरकार की है, सरकार की रहेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। यह प्रावधान था। केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा था। मुझे यह कहा गया कि 15 हजार स्कूलों के अध्यापकों के पद खतम होंगे, केवल इन स्कूलों में 3600 ही पद स्वीकृत हैं इसीलिए फिर भी जैसा कि आपने कहा कि जो स्कूलों का कहा, अलग-अलग हमने क्लस्टर-वाइज किया और उस पर प्रावधान, यदि ढंग से प्रावधान करने पड़ेंगे तो मुझे

(श्री वासुदेव देवनानी)

लगता है कि शायद आप भी उस पर विचार करने के लिए बाध्य होते। यह एक प्रयोग के लिए सुझाव आया है। प्रयोग के लिए आपके सामने आए। अब उसमें इतने सारे सुझाव और पोस्टकार्ड आए हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि कोई भी पढ़कर यदि कोई पोजिटिव सुझाव आप भी देंगे तो सरकार उस पर सकारात्मक विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न नम्बर एक। श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि इसको वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: नो-नो, मिस्टर भंवरसिंह, बैठिये। नहीं, जवाब नहीं आएगा। बैठिये। बिलकुल जवाब नहीं आएगा। बैठिये आप। नहीं। श्रीमती कामिनी जिन्दल, सवाल नम्बर एक।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): जवाब आ गया।

श्री अध्यक्ष: हो गया, नहीं करना। श्री जोगाराम पटेल। आप बैठिये। हां, किशनारामजी, आप पूछिये।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): कांग्रेस के टाइम में तो उनको धक्का मार-मार निकाला और अब वह आशा करके बैठे हैं कि बी.जे.पी. का राज आये और हमको वापस लायें। कोई धौलपुर बैठे हैं, कोई अजमेर बैठे हैं, कोई दूर बैठे हैं इसके लिए मंत्रीजी से निवेदन करते हैं कि 50-60 हजार रुपये उनको मासिक मिलते हैं, वह वहां बैठे हैं तो बैठे हैं। मतलब, यह तरीका सही नहीं है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स का जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर यहां पर लगायें।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि पी.पी.पी. मोड पर अभी जो आपने पैरामीटर्स तय किये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किशनारामजी, आप बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसमें सलेक्शन कमेटी कौन है? विद्यालयों का चयन कौन करता है? किन-किन आधारों पर करता है? कई

(श्री जोगाराम पटेल)

जगह पर ऐसे पाए गये हैं कि जहां पर बिल्डिंग आवश्यकता से अधिक बनी हुई है, उनका भी कहीं सलेक्शन हो गया है इसलिए सलेक्शन आथोरिटी कौन है और किन-किन आधारों पर इनको सलेक्ट करती है, कृपया यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो इसकी नोडल एजेंसी है, वह अपना यह सैकण्डरी एजुकेशन इसका डिपार्टमेंट है और उसके अंदर हमने नोडल एजेंसी बनाई है राजस्थान काउंसिल आफ सैकण्डरी एजुकेशन, यह नोडल एजेंसी है और इसके साथ में स्टेट लेवल अप्रेजल कमेटी, वह ग्यारह सदस्यीय है, वह इसमें सारा करती है और वह जो कमेटी है वह एम्पावर्ड है कि किस प्रकार से स्कूलों का सलेक्शन किया जाए।

जो आपने कहा, उसमें मैंने कहा कि लगभग 253 स्कूल ऐसे हैं, जहां भी अभी 10 कमरों या आवश्यकता से कम कमरे उपलब्ध हैं और दूसरा, जो एजेंसी को केवल कमरे बनाने के लिए नहीं थे, उसको सारी फैसिलिटीज भी उपलब्ध करवानी थी, चाहे वह कम्प्यूटर लैब हो, चाहे अदर फैसिलिटीज हों, उन सबके लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान था लेकिन इसने जो स्कूल सलेक्शन किया, उसमें कई क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं, उन सबको देखा लेकिन सरकार की मंशा एक ही है कि राजस्थान के दूरदराज, ढाणी और गांव में रहने वाले बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। सरकार के स्तर पर भी प्रयत्नशील हैं और कुछ प्रयोग भी किये हैं लेकिन प्रयोगों को भी हम खुले मन से, मैंने कहा कि हमने सुझाव आमंत्रित किये हैं और जो आपके सकारात्मक सुझाव होंगे, उन पर हम विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो-नो। श्री अर्जुन लाल जीनगर। आप बैठिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी पचास-साठ हजार रुपये मांग रहे हैं हर टीचर के ट्रांसफर के तो यह बात क्लीयर तो करो कि क्या बात थी?

श्री अध्यक्ष: मिस्टर बेनीवाल, बैठिये। मिस्टर बेनीवाल, मिस्टर बेनीवाल, बैठिये। नहीं, आप बैठिये।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): उनकी तनख्वाह के लिए कहा है मैंने। मैंने कहा कि उनको 50-60 हजार रुपये तनख्वाह मिल रही है और वह वहां पर दूरदराज में बैठे हैं, ट्रांसफर करके यहां पर लगाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बार-बार खड़ा हो जाने का क्या मतलब है? श्री जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह पी.पी.पी. मोड पर जो विद्यालय दिये गये हैं, उनका चयन का आधार क्या है और यह शिक्षण कार्य में हमारी सरकारी विद्यालयों के अंदर जो अध्यापक कार्यरत हैं, उनकी गुणवत्ता पर कोई संशय है इसलिए पी.पी.पी. मोड पर दिये जा रहे हैं। नहीं, इसके बाद जो पी.पी.पी. मोड पर जो लगेंगे, ...(व्यवधान) कोई बात नहीं रोक दिया, जो भविष्य में लगाओगे तो उनके चयन का आधार क्या रहेगा?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने ही नहीं दे रहे हैं उनको। कृपलानीजी, पीछे से उनको दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे हो? बोलने दो न। बोलने दो न। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप कौन होते हो? यह हमारी पार्टी का मैटर है, आपका मैटर नहीं है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): श्रवणजी, मैं सही बोल रहा हूं। आप तो अपने प्रतिपक्ष के नेता से पूछो कि आज अख़बार में छपा है कि तीन-तीन करोड़ के सट्टे लगे हैं, आप तो उनकी बात करो। जिनके सट्टे लगे हैं उनकी तो बात नहीं कर रहे हो और हमारी बात कर रहे हो। हम तो अच्छा काम करने के लिए बैठे हुए हैं और अच्छा ही करके दिखाएंगे, आप चिंता मत करो लेकिन आप तो अपनी सोच लो तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): टी.वी. में जैसे बोलते हैं, वैसे ही बोल रहे हो क्या? यही काम है क्या आपका? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हमने इसको स्थगित किया है, इसके लिए कमेटी बनी है तो समझता हूं कि उसके बाद के सारे संशय निश्चित रूप से निराधार हैं। कमेटी

(श्री वासुदेव देवनानी)

इन सारे सुझावों पर सकारात्मक ढंग से विचार करके अपनी बात सरकार को प्रस्तुत करेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री ललित कुमार।

किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में संचालित एम्बुलेंस पर कार्यरत वाहन चालक

149. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में 108 व 104 कितनी एम्बुलेंस उपलब्ध हैं? क्या उक्त पर पर्याप्त वाहन चालक हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन पर वाहन चालक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त एम्बुलेंस पर वाहन चालक कितने वर्ष से कार्यरत हैं तथा उनको कितना वेतन दिया जाता है? क्या सरकार उक्त वाहन चालकों के वेतन में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार किशनगंज आदिवासी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंवरगढ़ व बजरंगगढ़ में अतिरिक्त 108 व 104 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस सेवा के कुल 5 (पांच) तथा 104 जननी एक्सप्रेस सेवा के कुल 5 (पांच) एम्बुलेंस वाहन संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जी हां। उक्त सभी 108 एम्बुलेंस व 104 जननी एक्सप्रेस वाहनों पर सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से पर्याप्त वाहन चालक उपलब्ध हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में 108 एवं 104 एम्बुलेंस सेवा के वाहनों पर कार्यरत चालकों का सेवा अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। प्रत्येक वाहन चालक को प्रति माह रुपये 10592/- सी.टी.सी. के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान किया जाता है। उक्त वाहन चालकों के वेतन वृद्धि संबंधित निर्णय सेवा प्रदाता कम्पनी के क्षेत्राधिकार में है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी नहीं। किशनगंज आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंवरगढ़ व बजरंगगढ़ के निकट केलवाडा, किशनगंज व नाहरगढ़ में 108 एम्बुलेंस व 104 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित हैं, जिनके द्वारा आपातकालीन स्थिति में अपनी लोकेशन के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंवरगढ़ व बजरंगगढ़ क्षेत्र में भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो उत्तर दिया है कि बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद में 108 की 5 एम्बुलेंस और 104 जननी एक्सप्रेस की 5 एम्बुलेंस हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो जवाब दिया है परिशिष्ट-"अ" पर इसमें पी.एच.सी.-समरानिया में 108 एम्बुलेंस इसमें आपने दर्शायी है जबकि इस पर 104 एम्बुलेंस अभी वर्तमान में, जननी एक्सप्रेस है और जो 104 शाहबाद में है, आपने इसमें दर्शायी है, इसमें यह 108 है। यह जो जवाब दिया है, यह मैं एक बार आपको निवेदन करूं कि यह दोनों में 104 और 108, इसमें दोनों में अलग है।

इसके साथ-साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा इनके जो कर्मचारी हैं, इनका वेतन बढ़ाया जाता है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि 10500 रुपये सी.टी.सी. के अंतर्गत दिये जाते हैं परंतु वर्तमान में पी.एफ. की कटौती करते हुए 2892 रुपये इनके काटे जाते हैं और वर्तमान में 7700 रुपये ही इनको दिये जाते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब इस कम्पनी को, सेवा प्रदाता कम्पनी को एम.ओ.यू. हुआ उस समय 10 परसेंट वृद्धि प्रत्येक वर्ष, यह एम.ओ.यू. हुआ था तो कितना वेतन हमने जब से एम.ओ.यू. हुआ है तब से अभी तक वर्तमान में हमने किया है और कितना-कितना किया है? मंत्री महोदय, यह बताने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिए, जो सेवा प्रदाता कम्पनी है, इसमें पोजिशन और इमरजेंसी, यह अपने बेसिक में

(श्री कालीचरण सराफ)

इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन को 5746 और पायलट को 5746 और अटेंडेंस इंसेंटिव 200 रुपये, इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन और पायलट को 200 रुपये और ग्रेच्युटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन को 3414 और पायलट को 3114, यह सारी, ग्रेच्युटी 277 और 277 और शिफ्ट ओवर अलाउंस 3414 और 3114 रुपये हैं। ई.पी.एफ. 756 और 756 ई.एस.आई. 445 और पायलट के 431, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी 10 और 10 और जी.टी.एल.आई. 58-58, मंथली सी.पी.सी. इमरजेंसी मेडिकल टैक्नीशियन को 10,906 और पायलट को 10,592 और इनके जो हाथ में आता है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को 8,506 और पायलट को 8,211 है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से केवल यह पूछना चाहूंगा कि हमारा जब सरकार से एम.ओ.यू. हुआ है, उस दिन से अब तक हमने चार सालों में कितनी वृद्धि इनके वेतन में की है। दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगा कि भंवरगढ़ और बजरंगगढ़, जो पी.एच.सी. हैं, इन दोनों पर आपने दूरी के हिसाब से 108 और 104 जननी सुरक्षा एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जाती है। इसमें मैं आपको निवेदन करूं कि आपने दूरी के हिसाब से इसमें जवाब दिया। मैं कहना चाहूंगा कि इन पर जो हमारी जनसंख्या और जो केसेज आते हैं, बजरंगगढ़ में जनसंख्या है 10,500 का भार कवर करती है। इसमें जलवाड़ा पी.एच.सी., जो नाहरगढ़ में लगती है, उसका भार भी कवर करती है और जो ओ.पी.डी. है बजरंगगढ़ का, वह 300 से 400 लगभग हमारे डिलीवरी होती हैं। वहीं भंवरगढ़, जो हमारी पी.एच.सी. है, उस पर 23 हजार की पापुलेशन है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिये, सवाल पूछिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): उस पर 550 डिलीवरी होती हैं तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप बजरंगगढ़ या भंवरगढ़, दोनों पी.एच.सी. पर 108 या 104 एम्बुलेंस चालू करने का आप विचार रखते हैं क्या? क्योंकि सहरिया आदिवासी क्षेत्र होने के नाते हमारे वहां पर बहुत आवश्यकता है, इसलिये मेरा सरकार से, मंत्री महोदय से निवेदन है कि 104 या 108 एम्बुलेंस की आप घोषणा करके बतायें।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पहला पूरक प्रश्न पूछा है एम.ओ.यू. अनुरूप कम्पनी को 10 परसेंट अभी दिसम्बर, 2017 के बाद ही बढ़ाया गया है। कम्पनी द्वारा अपने सेवा नियमों के अनुरूप वेतन में वृद्धि की जाती है। दूसरा, आपने पूछा है कि यह बारां जिले में 104 जननी एक्सप्रेस सेवा के 18 वाहन संचालित हैं और इससे अप्रेल, 2017 से जनवरी, 2018 तक 26,705 फेरे लगाये गये हैं। भंवरगढ़ और बजरंगगढ़ क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए बजरंगगढ़ क्षेत्र में 104 जननी एक्सप्रेस वाहन लगाये जाने का प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये। हां, प्रश्न पूछिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): प्रदेश में कितनी ऐसी एम्बुलेंस हैं जिनमें आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। मैं 108 और 104 की बात कर रही हूं। मेरी आंखों के सामने एक पेशेंट ने दम तोड़ दिया, इसीलिये आज मैं इस प्रश्न को आपसे पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप किशनगंज-शाहबाद के बारे में पूछिये। जनरल नहीं, आप किशनगढ़-शाहबाद के बारे में पूछिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): 108 और 104 के बारे में ही पूछ रही हूं साहब। 108 और 104 ऐसी कितनी हैं जिनमें आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है?

श्री अध्यक्ष: नो-नो, किशनगंज-शाहबाद के बारे में पूछिये। और बिलकुल नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं बारां का ही पूछना चाहती हूं कि बारां जिले में कितनी एम्बुलेंस हैं, जिनमें आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है और दो वर्षों में ऐसे कितने पेशेंट हैं, जिन्होंने आक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया? जब उन्हें किसी एक चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय में रेफर किया जाता है और जब उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में सुलाया जाता है, ले जाया जाता है तो आप देखिये वहां पता लगता है पेशेंट के परिजन को, कि इसमें आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों के

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सामने एक ऐसा मैटर हुआ था। इसलिये मैं पूछना चाहती हूं क्या उन सभी एम्बुलेंस को चेंज करने का सरकार विचार रखती है जिनमें आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी 108 एम्बुलेंस में आक्सीजन की व्यवस्था होती है। 104 में आक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वह केवल डिलीवरी के काम आती है और यदि कहीं पर आपको कोई शिकायत मिलती है तो आप स्पेसिफिक शिकायत दीजिये, उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि जो 108 एम्बुलेंस समयपार हो गयी, अवधिपार हो गयी। बार-बार गैराज में जाती हैं, क्या वहां आप नई रिप्लेस करेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप किशनगंज-शाहबाद तक सीमित रहिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): दूसरा यह इमरजेंसी सर्विस है। हमारे ड्राइवर और जो मेडिकल स्टाफ है, उसके बैठने की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती, उसको हर समय ड्यूटी करनी होती है। कभी कोने में खड़ी होती है, कभी हास्पिटल में होती है तो उसके लिये एक समुचित व्यवस्था हम कर सकते हैं? वह सही सर्विस करे, उसके लिये क्या व्यवस्था कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: निर्मल कुमावत, बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो 108 एम्बुलेंस खराब हो जाती है, उनको रिप्लेस करने की व्यवस्था है। अभी पिछले तीन वर्षों में 200 नये 108 एम्बुलेंस लगाये गये हैं। यदि कोई खराब हो जाती है तो उसको हटा देते हैं और उसकी जगह नई लगवा देते हैं।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री मानसिंह। हां, आप पूछिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो हमारे इन ड्राइवरों को जो पेमेंट मिलता है सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा, आप कह रहे हैं कि उनको 8 हजार रुपये मिलता है और कम्पनी उनको एक हजार रुपये काटकर देती है।

श्री अध्यक्ष: किशनगंज-शाहबाद के बारे में पूछिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर): किशनगंज-शाहबाद से सम्बन्धित ही है। उनसे सम्बन्धित ही है कि उनके बारे में इस प्रकार की कोई जांच करायें कि वह किस बात का पैसा काटती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिये, एम.ओ.यू. के अनुसार जो तनख्वाह दी जाती है, उसमें कहीं पर आपको कोई शिकायत है तो शिकायत स्पेसिफिक कीजिये, उसका निश्चित रूप से जवाब देंगे।

प्रश्न संख्या 150

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नम्बर 150। स्थगित।

(स्थगित)

प्रश्न नम्बर 151, श्री जोगाराम पटेल।

पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन योजना के तहत पंजीयन

151. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा 'पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन' योजना के द्वारा 'नि:शक्तजनों' की परिभाषा बदलकर उसमें 21 श्रेणी के नि:शक्तजनों को शामिल किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त 21 श्रेणी के नि:शक्तजनों को नि:शक्तजनों की श्रेणी में सम्मिलित कर उन्हें पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन योजना के तहत नि:शक्तजन प्रमाण-पत्र दिए जाने हेतु उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इसमें आनलाइन में 21 श्रेणी की बजाय मात्र 5 ही विकल्प है? यदि हां, तो फिर शेष श्रेणी के नि:शक्तजनों के प्रमाण-पत्र किस तरह व कब जारी किये जायेंगे?

(3) जोधपुर जिले में उक्त योजना के तहत 24 सितम्बर, 2017 तक कितने नि:शक्तजनों का चिन्हीकरण कर उनका पंजीयन किया गया तथा उसमें से 12 दिसम्बर तक कितने पंजीबद्ध नि:शक्तजनों का प्रमाणीकरण

(श्री जोगाराम पटेल)

किया गया है? सरकार द्वारा पंजीबद्ध कितने नि:शक्तजनों को प्रमाण-पत्र दिया गया व कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) भारत सरकार द्वारा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disablities Act) 2016 के तहत दिव्यांगता की श्रेणियां बढ़ाकर 21 की गई हैं। श्रेणीवार दिव्यांगता की सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 जून, 2017 से पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है। उक्त शिविर के प्रथम चरण अन्तर्गत सभी 21 श्रेणी के संभावित विशेष योग्यजनों का पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करवाया गया। उक्त अभियान के द्वितीय चरण (प्रमाणीकरण) अन्तर्गत पूर्व में 5 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी के विशेष योग्यजनों का ही प्रमाणीकरण किया जा रहा था, परन्तु भारत सरकार द्वारा दिव्यांगता की सीमा मूल्यांकन के उद्देश्य से 05 जनवरी, 2018 को जारी दिशा-निर्देशों की पालना में वर्तमान में 21 प्रकार की दिव्यांगता का प्रमाणीकरण करवाया जा रहा है।

(3) पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017 के तहत जोधपुर जिले में 24 सितम्बर, 2017 तक 20,107 संभावित विशेष योग्यजनों का पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करवाया गया। 12 दिसम्बर तक 2,525 विशेष योग्यजनों का प्रमाणीकरण किया गया। दिनांक 09 फरवरी, 2018 तक जोधपुर जिले में कुल 48,373 संभावित विशेष योग्यजनों का आनलाइन पंजीयन किया गया तथा पंजीकृत में से 7504 विशेष योग्यजनों को निशक्तता प्रमाण पत्र जारी किये गये तथा 37,671 आवेदन लम्बित हैं। पंचायतवार समितिवार संख्या सूची सलंग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, श्री जोगाराम जी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार में जिलेवार कोई टार्गेट तय किया है कि इतने योग्यजनों का पहले रजिस्ट्रेशन और फिर प्रमाणीकरण कराना जरूरी है। अगर जिलेवार कोई टार्गेट नहीं हैं तो किस आधार पर इनका

(श्री जोगाराम पटेल)

आइडेंटिफिकेशन होता है? वह स्वयं चलाकर आते हैं या सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकार का अधिकारी या जन-प्रतिनिधि को वहां तक लाते हैं। दूसरा, इससे संबंधित मेरा जो मुख्य आधार यह है कि टोटल आपने जोधपुर जिले में 20 हजार का रजिस्ट्रेशन किया है और प्रमाण पत्र 2,525 का ही दिया है, और रिमेनिंग आपके पास पेंडिंग 37 हजार हैं, उनका कब तक प्रमाण पत्र मिल जाएगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, उसमें हमने जिलावाइज कोई टार्गेट तय नहीं किया। केवल इस पूरे अभियान के पीछे यह उद्देश्य था कि राजस्थान में अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के कितने केस हैं, इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। यह पूरा सर्वे करके, सारा इस तरह का एक अभियान चलायें कि जिसमें कितनी तरह की दिव्यांगता के कितने केस कहां-कहां हैं, इसकी एक जानकारी हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे अभियान की योजना बनायी गयी और उसको शुरू भी किया गया। हमने इसको तीन चरणों में शुरू किया। 01 जून से इस अभियान की शुरुआत की जिसमें प्रथम चरण में इनका रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया, दूसरे चरण में इन सबको हम आइडेंटिफिकेशन करके मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे और तीसरे चरण में हम इनको इम्प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे।

इसमें 2016 से पहले, 1995 का जो एक्ट था, उस एक्ट में केवल पांच तरह की दिव्यांगताओं का उल्लेख था। 2016 का एक्ट आने के बाद केन्द्र सरकार ने इसको बढ़ा कर 21 तरह की दिव्यांगताओं के लिए कर दिया। हमने जब अभियान शुरू किया तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की गाइड लाइन के अनुसार 21 तरह की डिस-एबिलिटीज की होनी चाहिए थी। डिस-एबिलिटीज की पूरी गाइड लाइन्स नहीं आयी थीं। छह की जो पहले से हमारे पास उपलब्ध थे, जिनके पूरे मेजर्स थे और गाइड लाइन थी, उनके आधार पर हमने दूसरे चरण का शुरू करते हुए, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देने का काम शुरू कर दिया। लाने की बात जो आपने कही, इसमें डिफरेंस चैनल्स बनाये, चूंकि यह एक बहुत बड़ा एक व्यापक अभियान है। इसमें दो तरह की बातें ध्यान में आती हैं।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

एक तो जितने दिव्यांग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। उसको हमने ई-मित्र पर भी दिया और स्वयं अपने कम्प्यूटर के ऊपर भी कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि जन प्रतिनिधि भी अपने आफिस में बुलाकर भी उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कोई व्यक्ति स्वयं भी, जिसके पास कम्प्यूटर है तो वह उसके ऊपर भी कर सकता है। हमने एक पासवर्ड आईडी दिया है। वह पासवर्ड आईडी पूरे अभियान के दौरान चलेगा। उसको बाद में बदलने की जरूरत नहीं है।

फिर इसी प्रकार से सरकार की तरफ से भी हमने, ई-मित्र के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसका जो 30 रुपये का शुल्क था, वह भी सरकार ने नि:शुल्क किया, कि 30 रुपये का शुल्क सरकार के द्वारा देय होगा। जो दिव्यांग है, उसको किसी भी तरह का कोई शुल्क ई-मित्र पर देने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो मेजर्स हैं, हमने बीडीओज को और सबको भी कहा कि उनको मोटिवेट करके अपने-अपने पास के ई-मित्र के ऊपर या फिर अटल सेवा केन्द्र पर लाकर उनका रजिस्ट्रेशन करायें। इस सबका परिणाम है कि सारे राजस्थान में लगभग नौ लाख से ऊपर के कल तक यानी 15 तारीख तक के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यह सतत् प्रक्रिया है। अभियान तो पूरा हो जाएगा लेकिन यह अभियान नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति उसके जन्म के साथ दिव्यांगता आएगी या उसकी कहीं दुर्घटना होती है तो भी दिव्यांगता कोई भी एचीव कर सकता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभियान के समाप्त होने के साथ समाप्त नहीं होगा। वह लगातार चलता रहेगा।

तीसरी बात आपने सर्टिफिकेट देने की बात कही। आपका प्रश्न है लेकिन उसका भी आगे है। बाकी 16 तरह की जो दिव्यांगताएं थीं उनकी भी गाइड लाइन पिछले महीने हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिल गयी हैं। हम मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पहले भी हमने इसकी पूरी योजना बनायी है। उनका सेन्ट्रलाइजेशन किया, उनकी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करके कैसे-कैसे करेंगे, वह सब करेंगे। अब भी एक बार फिर मेडिकल डिपार्टमेंट के सब डाक्टर्स के साथ, सबके साथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम करेंगे, सेन्ट्रलाइजेशन करेंगे और साथ ही, क्योंकि इसमें अभी कई-कई सुपर स्पेशियेलिटी टाइप की दिव्यांगताएं हैं। जिनके एक्सपर्ट शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं मिलेंगे, इसलिए पीएचसी लेवल पर जो मिल सकता है, वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सीएचसी पर मिल सकता है, वह सीएचसी पर। डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल पर है, वह वहां पर। मेडिकल कालेज तक भी हम कहीं भी लाकर, जिस तरह की उनकी दिव्यांगता

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

होगी, उसी प्रकार का सर्टिफिकेट मिल जाए। उसके बाद उनको इम्प्लान्ट बांटने का काम भी हम शुरू कर चुके हैं और उसको एक अभियान के रूप में हर जिला केन्द्र पर इस तरह का काम करें, एक कैम्प लगाकर, इसको भी सुनिश्चित करेंगे ।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत खण्ड संख्या 2 के बारे में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले पांच प्रकार की केटेगरी के सर्टिफिकेट मिलते थे। अब रिमेनिंग 16 प्रकार की जो केटेगरी हैं, उसके बारे में आपका रिप्लाई है कि 05 जनवरी, 2018 से हमने उन सब केटेगरी को सम्मिलित कर दिया और उन सबको प्रमाण पत्र देंगे। इसमें मेरा निवेदन है कि न पीएचसी पर और न सीएचसी पर, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी ही हैं, जिला अस्पताल बहुत कम हैं, वहां कोई भी डिसएबिलिटी आपने अपनी लिस्ट में दी है, वहां उनको आइडेन्टिफाई करने वाले कोई एक्सपर्ट डाक्टर नहीं हैं। तो जो रिमेनिंग 16 केटेगरी की डिसएबिलिटीज हैं उनको कौन आईडेन्टिफाई करेगा? प्रमाणीकरण कौन करेगा? और प्रमाण पत्र कब से जारी करना आप शुरू कर देंगे? क्योंकि अभी तक तो वह शुरू नहीं हुए हैं। कब तक आपकी प्लानिंग है कि सारे प्रमाण देना? या प्रमाणीकरण करना आप शुरू कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है, मैं उसको दोहराता हूं। इसमें 16 तरह की दिव्यांगताओं के बारे में अब जो गाइड लाइन्स आ गयी हैं, उन गाइड लाइन्स के लिए हम मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ बैठकर, क्योंकि यह अभियान पूरा विस्तृत रूप से है, इसमें पंचायत राज भी है, इसमें मेडिकल हैल्थ डिपार्टमेंट को भी जोडेंगे। नगर निकाय विभाग भी होगा। सबको मिला कर, टीम के रूप में काम करेंगे। जिस तरह की इन सबकी गाइड लाइन आने के बाद हम डाक्टर्स की ट्रेनिंग का कार्यक्रम करेंगे और यह बात सही है कि लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि कई तरह की डिसएबिलिटीज ऐसी हैं जिनका मेडिकल सर्टिफिकेशन पीएचसी, सीएचसी पर और शायद डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल लेवल पर भी नहीं हो सकता। उनको हम कहीं

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

भी, मैंने कहा कहीं भी जिनका पीएचसी पर हो सकती हैं, वहां सर्टिफिकेशन होगा, जो सीएचसी पर हैं, उनका वहां होगा। उसके बाद अगर मेडिकल कालेज लेवल पर भी, अगर किसी प्रकार के सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो वहां तक भी लाकर के सर्टिफिकेट देने की सरकार मंशा रखती है। केन्द्र सरकार को भी हमने आग्रह किया है कि अगर इसमें ऐसी हो कि हमें आपके किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो तो, उन्होंने भी कहा है कि आप चाहेंगे तो हम वहां से भी हम किसी विशेष तरह की डिसएबिलिटी के डाक्टर्स की आवश्यकता होगी, उसका सहयोग भी आपको प्रदान करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है, वह सामान्य की तरह, बूढ़े व्यक्ति की तरह मिलती है। कम से कम जो दिव्यांग हैं, उनकी पेंशन हजार दो हजार रुपये प्रतिमाह करने का विचार रखते हैं आप?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम इसमें कई तरह की सुविधाएं इनको देते हैं। इसमें पेंशन भी एक सुविधा है। उसमें दिव्यांगों के लिए हम रोजगार के लिए भी उनको लोन देने का काम करते हैं। पेंशन भी देते हैं। उनको कुछ आस्था कार्ड का भी प्रावधान किया हुआ है। बार-बार यह विषय आता है। कुछ पिछली बार भी हमने किया है। इसी तरह दिव्यांगों का संगठन जो राजस्थान में काम करता है, उनके साथ बैठकर हमने कई विषय पर बात की है, समझौता हुआ। उनके साथ बैठकर उन विषयों को भी हमने बढ़ाने का पास किया। चाहे रेलवे स्टेशन पर, बसों के पास को बढ़ाने की बात हो, कुछ होगा, उनको बढ़ाने का प्रयास किया। इस विषय को लगातार, जब भी बजट की उपलब्धता होगी, निश्चित रूप से विभाग विचार करेगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि दिव्यांगों के लिए जिस प्रकार से आप साइकिल देते हैं, क्या मोटराईज्ड ट्राई साइकिल भी आप उनको देते हैं या कोई अनुदान देते हैं या फिर भविष्य में कभी देने का विचार रखते हैं? इसके सम्बन्ध में कृपया बतायें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगों के लिए, 80 परसेंट से अधिक जिनकी दिव्यांगता है, केन्द्र सरकार के इस तरह के निर्देश हैं कि जिनकी 80 से अधिक की दिव्यांगता होती है, एलेम्को जो कम्पनी है उसके माध्यम से उनको मोटराईज्ड साइकिल देने की व्यवस्था है। एक दिक्कत हमें आयी कि 80 परसेंट की दिव्यांगता से कम भी ऐसे कई होते हैं जिनकी 40, 50, 60 परसेंट होगी और वह कुछ भी नहीं कर सकता है, अपना जीविकोपार्जन और अपना नियमित काम नहीं कर सकता। माननीया मुख्य मंत्री महोदया से हमने आग्रह किया। उनके निर्देश के बाद पंचायत राज विभाग ने, इस बात का, हमने आग्रह भेजा है कि एमएलए लैड और एमपी लैड फण्ड से उसको जोड़ दिया जाए तो संबंधित विधायक, उनके क्षेत्र में जो दिव्यांगता है, उनको भी एक अच्छी कम्पनी की मोटर राईज्ड साइकिल वह दे सकें। मेरी जानकारी में है कि अभी पंचायत राज मंत्रीजी के यहां से कल या परसों फाइल निकल गई है। जैसे ही आएगी, आदेश हमारे यहां से निकालेंगे और सबंधित विधायक एमएलए लैड फण्ड से अनुदान देकर भी करा सकता है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री पब्बा राम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में बाप में जो हिस्सा है, वहां पर विजय सिंह कर के एक प्रज्ञा चक्षु है और उसने जब ई-मित्र एप्लाई किया, ई-मित्र वाले ने गलती से उसका 40 परसेंट भर दिया जबकि पूर्व में बना हुआ सर्टिफिकेट 100 परसेंट का था क्योंकि पूरा प्रज्ञा चक्षु होने के कारण उसकी दिव्यांगता 100 परसेंट थी परन्तु उसको 40 परसेंट का जब वह मिला तब माननीय मंत्रीजी से भी आग्रह किया था, मुझसे भी आग्रह किया था, परन्तु एडिट का आप्शन नहीं होने के कारण अभी तक उसके अन्दर सुधार नहीं हुआ है। क्या उसके अन्दर सुधार होकर उस दिव्यांग को न्याय मिलेगा? उसको 100 परसेंट का मिल पायेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो बात कही है, संभवत: विकास भाटी नाम के व्यक्ति हैं। शायद इनके क्षेत्र के ही हैं। मेरे पास भी उनका फोन आया था। मैंने उनको कहा कि अपना एक रिप्रजेंटेशन दे दें, मेडिकल बोर्ड से है, वह भी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

दें, इस तरह की कोई एनामोलीज हुई हैं तो मेडिकल बोर्ड बैठाकर परीक्षण करवा लेंगे और वास्तव में उनकी सौ परसेंट की दृष्टि बाध्यता है तो उनको जैसा है, उस तरह का उनको सर्टिफिकेट उनको मिल जाए, यह सुनिश्चित करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हनुमान बेनीवाल।

राजफैड के माध्यम से साधारण यूरिया की बिक्री

152. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) गत तीन वर्षों में राजफैड के माध्यम से बफर स्टाकिंग योजना के तहत डी.ए.पी. व यूरिया की कितनी मात्रा खरीदी गई?

(2) क्या यह सही है कि गत 2 वर्षों से साधारण यूरिया के निर्माण व बेचने पर सरकार की रोक है? यदि हां, तो किन प्रावधानों के तहत? क्या वर्तमान में राजफैड द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से साधारण यूरिया की बिक्री की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नागौर जिले में काफी समय से विभिन्न सहकारी समितियों व निजी दुकानदारों के माध्यम से नये यूरिया की बिक्री पर सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर पूर्व में भंडारित साधारण यूरिया की बिक्री तक नये यूरिया की बिक्री नहीं करने पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि 2 वर्ष से अधिक समय तक गोदामों में रखे यूरिया के रासायनिक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब-कब व कहां-कहां यूरिया का सैंपल परीक्षण करवाया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा भंडारित यूरिया के सैम्पल परीक्षण में यूरिया तय मानदण्डों के अनुरूप सही पाया गया? यदि नहीं, तो इसके लिए किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): (1) उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण के तहत राजफैड द्वारा गत तीन वर्षों में वर्षवार भण्डारित किये गये डी.ए.पी. व यूरिया का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, सहकारिता)

(2) दिसम्बर, 2015 से भारत सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया का विनिर्माण व आयात करने के ही निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु पूर्व के भण्डारित साधारण यूरिया के बेचने पर प्रतिबंध नहीं है।

जी हां। राजफैड द्वारा कृषि विभाग के निर्देशानुसार उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण की योजना के तहत भण्डारित यूरिया का वितरण फसलों हेतु ही किया जाना अपेक्षित होने के कारण अधिशेष भण्डारित साधारण यूरिया का विक्रय राजफैड/सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को किया जा रहा है।

(3) बजट घोषणा की अनुपालना में कृषि विभाग के निर्देशानुसार गत वर्षों के भण्डारित उर्वरकों का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु सहकारी समितियों को पहले राजफैड के पास गोदामों में भण्डारित खाद का विक्रय करने के पश्चात् ही इफको व अन्य संस्थाओं द्वारा भण्डारित उर्वरक की बिक्री करने के निर्देश दिनांक 23.6.17 को जारी किये गये थे। निजी दुकानदारों को नये यूरिया की बिक्री पर प्रतिबंध बाबत कोई निर्देश जारी नहीं किये गये।

(4) यदि यूरिया को धूप व नमी रहित गोदामों में लम्बी अवधि तक सुरक्षित भण्डारित किया जाता है तो इसके रासायनिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा भण्डारित यूरिया के जिलेवार आहरित किये गये 19 नमूनों का विश्लेषण राजकीय अधिसूचित प्रयोगशालाओं में कराया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) जी हां। कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा भण्डारित यूरिया के जिलेवार एफसीओ 1985 के नियमानुसार आहरित किये गये 19 नमूनों का विश्लेषण राजकीय अधिसूचित प्रयोगशालाओं में कराया गया है, जो कि मानक पाये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। सैम्पल परीक्षण में यूरिया तय मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने के कारण अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का औचित्य नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, यूरिया की काला बाजारी को लेकर हमें लगातार कई वर्षों से पढ़ने को मिलता है, यूरिया और डी.ए.पी. के राजस्थान में कई चर्चित घोटाले हुए।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से इसके अन्दर मेरे सिर्फ दो-तीन सवाल हैं। मेरा पहला पूरक सवाल है कि हर वर्ष रबी व खरीफ फसलों के समय-समय पर रासायनिक उर्वरकों की कमी आती है, फिर क्या कारण रहे कि बफर स्टाकिंग योजना में भण्डारित उर्वरकों का निस्तारण नहीं किया गया? नम्बर एक।

साधारण यूरिया के उपयोग व निर्माण के क्रय में दिसम्बर, 2015 से ही भारत सरकार द्वारा रोक लगा दी गयी और उसके बाद हर वर्ष खरीफ व रबी की फसलों में यूरिया की कमी रही है, फिर भी आज तक साधारण यूरिया का स्टाक क्यों जमा रहा है, इसमें कौन-कौन दोषी हैं? यह मेरा पहला पूरक सवाल है, साहब, मंत्रीजी से।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष जी, यह जो खाद का भण्डारण है यह किसलिए किया जाता है और मैं आपको बता दूं कि पहली बार भण्डारण की यदि कोई व्यवस्था की गयी है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद में 2007-08 में हमारी वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी ने इसका प्रारम्भ किया कि खाद का भण्डारण किया जाना चाहिए। खाद का भण्डारण इसलिए आवश्यक है कि किसानों को सही समय पर खाद उपलब्ध हो, उसकी उचित दर पर उपलब्ध हो और गुणवत्तापूर्ण खाद उनको मिले।

माननीय सदस्य ने जो बताया है कि इसकी कमी है, आप मुझे बता दीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है बिलकुल भी कमी नहीं है। पहले पुलिस के द्वारा वितरित किया गया, अभी आने के बाद में कहीं पर भी शिकायत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम गत वर्ष को देखें 2017-18 में और परिशिष्ट-"एक" को अगर आप देखें तो हमारे पास में 1 लाख 45 हजार 512 मैट्रिक टन यूरिया के भण्डार थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में केवल 983 मैट्रिक टन यूरिया अभी पड़ा हुआ है और वो यूरिया है 326 मैट्रिक टन यूरिया तो पड़ा हुआ है बारां में अटरू में और 657 मैट्रिक टन यूरिया पड़ा है भरतपुर में और इसकी भी मांग हमारे पास में आ चुकी है, और यह भी जल्दी से वितरण कर दिया जाएगा। बिलकुल निल है, जितना भी भण्डारण हमने किया था उतना किसानों को केवीएसएस के माध्यम से वितरण कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी से यह पूछा था कि यूरिया की कमी रही फिर भी आज तक साधारण यूरिया का स्टाक क्यों जमा रहा? इसमें कौन-कौन दोषी हैं? एक तो, मंत्रीजी, आप इसके अन्दर पूरी जांच करायें, आपने मेरे को लिखकर दे दिया, इससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। क्योंकि आप मेरे जिले से आते हैं इसलिए मैं आप पर ज्यादा आरोप भी लगाना चाहता, आप सारी बातें जानते हो।

श्री अध्यक्ष: लिहाज कर रहे हो, लिहाज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। हो सकता है कि आपका भला हो गया लेकिन राजस्थान के किसानों का भला नहीं हुआ। एक तो मेरी यह मांग है कि आज तक साधारण यूरिया का स्टाक क्यों जमा रहा और इसमें कौन-कौन दोषी हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा सवाल तो पूछूं। संयुक्त निदेशक, कृषि आदान ...

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): यूरिया की ब्लैक होती ही कांग्रेस के टाइम में। आ सही बात है, यूरिया कांग्रेस के टाइम होती ही। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): किशनाराम जी ने तो देवनानी जी पर 60-60 हजार रुपये लेने का आरोप लगा दिया था।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): देवनानी जी पीसा ही कोनी ले ...(व्यवधान) आ फालतू बात ना करो न, हाउस है यह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आपस में चर्चा नहीं। आपस में नहीं, बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने ही तो कहा था।

श्री अध्यक्ष: बेनीवाल साहब, आप सवाल पूछिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, संयुक्त निदेशक, कृषि आदान द्वारा दिनांक 13.06.2017 को क्रम संख्या 2017-17/3255-3310 को जारी पत्र में नागौर सहित तीन अन्य जिलों में नये डी.ए.पी. की आपूर्ति नहीं करने बाबत आदेश जारी किये गये थे। यह कानूनी रूप से किन प्रावधानों के तहत किये गये थे? नम्बर एक।

अध्यक्ष महोदय, एक मेरा इतना सा ही है कि आप जो प्राइवेट डीलर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हैं इनको तो चाहे जितना यूरिया दे रहे हो और आपकी सहकारी समितियां हैं, आप उनका यूरिया समय-समय पर कटौती करते रहते हो। जब आन्दोलन होते हैं, मांग होती है तब, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: बैठो, सवाल बहुत लम्बा हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यूरिया का ही तो मामला है, साहब, किसानों का।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, जवाब दे रहे हैं।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): एक बार जवाब देने दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, सारा एक साथ ही दे देना न। मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): नहीं, एक बार बैठो तो सही, मैं दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि राजफैड केवल सहकारी समितियों को ही वितरण करता है, राजफैड कभी भी किसी प्राइवेट को या दुकानदार को खाद का वितरण नहीं करता। आप जो बता रहे हैं कि नागौर में कमी रही, मैं आपको बता सकता हूं, पूरी सूची उपलब्ध करा सकता हूं कि नागौर में कभी भी कमी नहीं रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम नागौर को देखें तो 2017-18 में हमारे पास में बफर स्टाक था 7332 मैट्रिक टन यूरिया का और उसमें से 2017-18 में नागौर में वितरण हुआ केवल 2610 क्योंकि वहां पर उसकी मांग नहीं थी और उसकी मांग नहीं होने से हमने अजमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर जिलों में उसको वितरण किया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डी.ए.पी. पर रोक क्यों लगायी? मैंने डी.ए.पी. का पूछा है। मंत्रीजी, डी.ए.पी. का पूछा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। पूरक प्रश्न, श्री धीरज गुर्जर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, यूरिया नहीं डी.ए.पी. का पूछा है नागौर जिले के अन्दर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया। आ गया, जवाब आ गया। श्री धीरज गुर्जर, पूरक प्रश्न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने 13.06.17 को ...

श्री अध्यक्ष: हनुमान जी, विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी, डी.ए.पी. का बताओ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। आ गया, उनकी तरफ से जवाब आ गया। बैठिये आप। नहीं, नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, राजफैड की एम.डी. मंत्रीजी का कहना नहीं मानती, +++ है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दुराग्रह मत कीजिए। बेनीवाल साहब, दुराग्रह मत कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और यह मंत्रीजी यहां ऐसे ही जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं। आप बताओ, अध्यक्ष महोदय, किसानों का मामला है।

श्री अध्यक्ष: दुराग्रह मत कीजिए, विराजिये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान के अन्दर यूरिया की काला बाजारी हो रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, मैंने धीरज गुर्जर को बुला लिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप मेरा जवाब तो दिलाओ।

श्री अध्यक्ष: दिला दिया, दे दिया उन्होंने जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं पूरे राजस्थान में किसी भी तरह से यूरिया और डी.ए.पी. की पहले भी कमी नहीं थी और वर्तमान में भी कमी नहीं रहेगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): रोक कैसे?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लाख 75 हजार मैट्रिक टन यूरिया का और 50 हजार मैट्रिक टन डी.ए.पी. के भण्डारण का हमको निर्देशित किया है।

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): और कृषि विभाग के माध्यम से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, खाद की बिलकुल कमी नहीं आने दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, आप सारे मामले की जांच करा लोगे?

श्री अध्यक्ष: हनुमान जी बेनीवाल, बैठ जाइये। मैंने धीरज गुर्जर को पुकार लिया। पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये आप, यह नहीं। आ गया आपका जवाब। धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2014-15 और 2015-16 के अन्दर भीलवाड़ा जिले समेत अजमेर सम्भाग के अन्दर कई स्थानों पर डी.ए.पी., यूरिया खाद लेने के लिए किसानों को थाने के बाहर लाइन में लगना पडा है क्या? आपकी इस अव्यवस्था के कारण अपनी भण्डारण व्यवस्था को सुधार कर आप लोग किसानों को इस अव्यवस्था से बचाने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार आने के बाद में खाद की कहीं भी किल्लत नहीं हुई है। (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 2014-15 और 2015-16 में थाने के बाहर किसान लाइन में हैं, आपके सामने मैं अख़बार की कटिंग लेकर आया हूं, आप कहो तो टेबल कर देता हूं।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): जब से यह सरकार आयी है, ना तो कमी पहले थी और ना वर्तमान में कमी है। हमारे पास में अभी भी भण्डारण बहुत है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 2014-15 और 2015-16 के अन्दर भीलवाड़ा जिले में किसान थाने के बाहर लाइन में लगे हैं, आप कहो तो यह टेबल कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष: धीरज, बैठो। श्री हबीबुर्रहमान, पूरक प्रश्न, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): क्वेश्चन नम्बर 153 नम्बर। मेरा क्वेश्चन है 153 नम्बर।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो खाद की किल्लत आपके समय आ रही थी उसको दूर ही हमारी मुख्यमंत्री जी ने किया है, भण्डारण की व्यवस्था के निर्देश दिये हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपके कार्यकाल में 2014-15 और 2015-16 में किसान थानों के बाहर लाइन में लगे हैं खाद लेने के लिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ। नहीं, बैठ जाओ। मैंने हबीबुर्रहमान का नाम पुकार लिया।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): प्रश्न संख्या 153 नम्बर, मेरा क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: हां, आप कीजिए।

नागौर में एयरपोर्ट का निर्माण

153. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नागौर मुख्यालय पर एयरपोर्ट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु कितनी भूमि अधिग्रहित की जाएगी व कार्य कब तक शुरू हो जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन (श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)): जी नहीं। नागौर में एयरपोर्ट निर्माण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है।

नागौर में राजकीय हवाई पट्टी है। इस हवाई पट्टी के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

हवाई पट्टी विस्तार हेतु 90.36 बीघा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत भूमि मुख्य पायलेट अधिकारी निदेशालय, नागरिक विमानन जयपुर एवं जिला कलक्टर नागौर द्वारा चिन्हित की गई है। भूमि अवाप्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में

(राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन)

उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 एवं भूमि अर्जन नियम, 2015 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब आ गया। जवाब आ गया। उन्होंने जवाब दे दिया। प्रश्नकाल समाप्त। अनुपस्थिति के लिए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन कर दूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष: मैं अनुपस्थिति का कर दूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक मिनट में ही खतम कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

आरोप

नेता, प्रतिपक्ष पर सट्टा लगाने का आरोप

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि भारत सरकार ने काले धन के खिलाफ व्यापक अभियान चला रखा है और काले धन का मुख्य स्रोत सट्टा भी है। आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष के नेता को लेकर, सट्टे में 3 करोड़ रुपया लगाने को लेकर चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आपने नोटिस नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं समझता हूं कि कोई न कोई षड्यंत्र इस प्रकार का हो रहा है जिससे इनकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है...(व्यवधान) इनको स्पष्ट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 3 करोड़ का सट्टा है और यह जीते हैं 20 करोड़ का सट्टा।

श्री अध्यक्ष: आप नोटिस दीजिए, नोटिस पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ईडी कल छापे मारेगा। ईडी कल इनके खिलाफ छापे मारेगा और फिर यह आएगा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने छापा लगाया इसलिए मैं चाहूंगा कि यह स्पष्ट कर दें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दलितों के साथ जो इनका व्यवहार है, 4 दिन पहले संत फरासा महाराज में नोखा के अंदर धावा गांव में इन्होंने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दलितों को खाना दिया तो उनकी अलग पंगत लगा दी। सवर्ण लोगों की अलग पंगत लगा दी। इनके पुतले फूंके जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह विषय नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं निवेदन करूंगा कि इनके खिलाफ षड्यंत्र है। यह इनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह नहीं, आप बैठिए...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, यह सदन के अंदर खड़े होकर के अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका विरोध करना चाहते हैं... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इनको संसदीय परंपराओं का ध्यान नहीं है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मुझे चिंता है इस बात की कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक संसदीय मंत्री होने के बावजूद आपके द्वारा संसदीय परंपराओं को तार-तार किया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनको स्पष्ट करना चाहिए...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप एक कागज लेकर के क्या लोगों को...(व्यवधान) एक कागज दिखाकर के क्या...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इन्होंने कभी नहीं कहा। संसदीय मंत्री जेल के अंदर रहकर आए हैं...(व्यवधान) इसलिए इनको सज़ा दी जाए ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष की खुद की आवाज है। मेरे पास में एक इनके रिश्तेदार ने, इनके मित्र ने वह वीडियो सुनाया। यह माननीय नेता प्रतिपक्ष की खुद की आवाज है...(व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मदन जी, आपका खुद का वीडियो है सट्टा करते हुए ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह मना कर नहीं सकते। यदि आसन आदेश दे तो मैं सबको वीडियो सुना सकता हूं...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरे पास भी एक वीडियो है जिसमें यह ताश की पत्ती खेल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इनके रिश्तेदार ने वह वीडियो मुझे खुद को दिया है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह हो क्या रहा है अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इनके इलाके के, इनके रिश्तेदार ने वह वीडियो बनाया है...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शर्म भी नहीं आती क्या...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उसने आज सवेरे मुझे टेलीफोन किया...(व्यवधान) मैंने उससे कहा कि यह हो नहीं सकता। मैंने विश्वास नहीं किया तो उसने मुझे ऑडियो सुनाया। नेता, प्रतिपक्ष की खुद की आवाज है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक जिम्मेदार मंत्री को इस तरह से...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप खुद सट्टा करते हो। यह बड़ा विचारणीय विषय है...(व्यवधान) आपको सट्टा नहीं करना चाहिए...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या हो रहा है इनको...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): काला धन कैसे सट्टे में लगा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप जो हारे हो, वह हार नहीं पच रही है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सट्टेबाजों को बाहर करो...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह बात का जवाब देंगे ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाइए ...

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(व्यवधान) आपकी एक-एक बात का जवाब देंगे...(व्यवधान) आप तो हाउस को आर्डर में लाइए ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप मना कर नहीं सकते। आपकी खुद की आवाज है...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाइए। आपकी एक-एक बातों को जवाब देंगे...(व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मदन राठौड़ जी का वीडियो हमारे पास है जिसमें यह तीन पत्ती खेल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जिसने मुझे यह दिया है वह नेता प्रतिपक्ष का अत्यंत खास, निकटतम व्यक्ति है। जिसने मुझे यह दिया है...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाइए। सारी बातों का जवाब दिया जाएगा...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शर्म भी नहीं आती क्या...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इनका अंदरूनी झगड़ा है ...(व्यवधान) आप आपस में एक दूसरे को...(व्यवधान) आप सावधान रहो, किसी से बातें मत करो...(व्यवधान) काला धन है तो उजागर कर दो। जमा करा दो। बात यहीं खतम हो जाएगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12:05 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(12:35 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।

आरोप

नेता प्रतिपक्ष पर सट्टा लगाने का आरोप

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सदन में प्रतिपक्ष के नेता एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। उन पर जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, मैं समझता हूं हम सबके लिए चिंता का विषय है क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आडियो वायरल हुआ है और जिस तरह से दावा किया है उसके अंदर ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना नोटिस के कौनसी परम्परा के अंदर संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान) दूसरे के अंदर जिस प्रकार से दलितों को अलग पंगत में बैठा कर भोजन कराया है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी संसदीय परम्पराओं को तार-तार करने का काम कर रहे हैं, ...(व्यवधान) ये जेल में जा चुके हैं। (व्यवधान) इनको कोई अधिकार नहीं है, ये मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। ये दारिया प्रकरण में जेल यात्रा करके आ चुके हैं। (व्यवधान) ये नेता प्रतिपक्ष पर किस आधार पर लगा रहे हैं आरोप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा रहे ये स्वयं कह दें (व्यवधान) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अलग पंगत में बैठा कर खाना खिला रहे हैं, ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बिना नोटिस के व्यक्तिगत आरोप यहां पर कैसे लगा सकते हैं खुद संसदीय मंत्री होकर सदन के अंदर (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष: अनुपस्थिति के लिए अनुमति। (व्यवधान) अनुपस्थिति के लिए अनुमति। (व्यवधान)

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): दलितों के साथ में अत्याचार करने वाले लोग अलग से बैठा कर परम्पराओं को तोड़ने का काम करते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है...(व्यवधान) लोक सभा के एक सदस्य की मैम्बरशिप इसलिए चली गई थी कि उसने शेयर बाजार से सम्बन्धित प्रश्न लगाए थे। (व्यवधान) लोक सभा के एक सदस्य की मैम्बरशिप इसलिए चली गई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह भी सबूत लेकर आया हूं, लोक सभा के एक सदस्य की सदस्यता इसलिए निलम्बित कर दी गई थी कि उसने शेयर बाजार से सम्बन्धित प्रश्न लगाए थे। आज नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि नेता प्रतिपक्ष यह कह दे कि मेरी आवाज नहीं है, आप सदन में बोल दो कि मेरी आवाज नहीं है, ...(व्यवधान) मैंने खुद ने आपका वीडियो देखा है, ...(व्यवधान) ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): टेबल कर दीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) हां। आपका खुद का वीडियो है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि यहां सदन में सत्य बोलना है, नेता प्रतिपक्ष अपने मुंह से कह दें, कह सकते हो कि आपका वीडियो नहीं है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैंने खुद देखा है आपका वीडियो ...(व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं इसकी ताईद करता हूं। (व्यवधान) ।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैंने स्वयं ने देखा है इनका वीडियो, ...(व्यवधान) आडियो नहीं वीडियो, वीडियो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो हम इसको टेबल कर देंगे। (व्यवधान) यह आवाज उनकी है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप आफिस में बैठे हैं, आप दोनों के बीच में एक आलमारी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को कंट्रोल में करो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) इसमें नेता प्रतिपक्ष आप खुद बोल रहे हैं और जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं, आप दोनों के बीच में एक आलमारी है, ...(व्यवधान) आप आफिस में बैठे-बैठे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): आजादी के 70 वर्ष बाद भी दलितों को समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आडियो नहीं वीडियो, वीडियो है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं आपको बताऊं, एक आदमी आपके पास में बैठा है, एक व्यक्ति सामने खड़ा है। (व्यवधान)

आपके और एक व्यक्ति के बीच में आलमारी है, आप खुद खड़े, बैठे-बैठे...(व्यवधान) और अजमेर के बारे में, मांडलगढ़ के बारे में...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): .... आप तीन बाई-इलेक्शन के अन्दर बौखला गये। तीन बाई-इलेक्शन के अन्दर बौखला गये। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी आवाज है। (व्यवधान) आपका चेहरा है। आवाज आपकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वो पैसा जमा कराना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जांच कराने की घोषणा की जाए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ....अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कराई जाए और जांच कराने की घोषणा की जाए। (व्यवधान) ऐसा क्या हुआ, उसकी भी जांच करानी चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वीडियो-वीडियो। मैं आडियों की बात नहीं कर रहा हूं, वीडियो की बात कर रहा हूं और वीडियो में आप खुद हैं, आपके पास में एक व्यक्ति बैठा है और...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, जांच करानी चाहिए इसकी। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप जवाब नहीं सुनना चाहते। इतने +++ हो गये कि जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): करोड़ों रुपये आपने लगाये और सट्टा खेलें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा जिसकी वीडियो जारी हो जाती है। (व्यवधान) वो क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को? इस सदन के अन्दर बैठे हुए लोग सट्टाबाजारी का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, उस वीडियो की जांच करायी जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। मुझे आज की कार्यवाही लेने दें। मैं आपसे, दोनों पक्षों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप शांत रहिये। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरे पर एलिगेशन लगाया है, मैं इसका जवाब तो दूंगा और आप जवाब नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, आप क्या कहना चाहते हो प्रतिपक्ष के नेता? आप अपना पक्ष...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से मेरे पर आरोप लगाये गये हैं...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि लोक सभा के एक सदस्य की सदस्यता इसलिए चली गई थी उसने शेयर बाजार के प्रश्न लगाये थे। इस कारण से लोक सभा के उस सदस्य की मैम्बरशिप चली गई और यह भी... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ये सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): और माननीय नेता, प्रतिपक्ष का तो वीडियो है। आडियो नहीं, वीडियो है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में लेकर आओ। मेरे पर आरोप लगाया है मैं इसका...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मदन राठौड़ जी, पहले कालीचरण सराफ की जांच कराओ, पहले किरण माहेश्वरी की जांच कराओ, दारिया प्रकरण की जांच कराओ, +++ और संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप तो दारिया प्रकरण में जेल जाकर आ चुके हैं, आपको मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है और जिस तरह से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमें चिंता है। (व्यवधान) हां, मैं गया हूं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी तैयारी है और आप अपने....(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्य पर आरोप नहीं लगा सकते...(व्यवधान) यह संसदीय कार्य मंत्री संसदीय परम्पराओं को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): वो काला धन कहां गया इसकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाओ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के एक सदस्य की सदस्यता निलम्बित हो सकती है तो नेता, प्रतिपक्ष यह मुंह से कह दें कि मेरा वीडियो नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारा पूरा आदर है प्रतिपक्ष के नेता का और हम उनका सम्मान करते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): है आपका वीडियो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। (व्यवधान) मेरे पास है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसकी जांच कराओ न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह ठीक नहीं हुआ।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मेरे पास है और आपका वीडियो है, आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं, आपके पास में एक व्यक्ति बैठा है, एक सामने वाला व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है, आपके और उस व्यक्ति के बीच में एक अलमारी है, पीछे एक तस्वीर लगी है। आप खुद बोल रहे हैं और आपके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हैं फिर आप ऐसे कैसे ना कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, ये सवाल कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके लोगों के पास भी है और मुझे दिखाने वाले लोग भी यहां मौजूद हैं फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):...यह मिलीभगत का खेल मत करो। (व्यवधान) राजस्थान की जनता आपको देख रही है, ...(व्यवधान) भ्रष्टाचार के अन्दर डूबी हुई सरकार अपने कारनामों को छिपाने के लिए यह मिलीभगत का खेल मत करो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। ये सुनना ही नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) आपने मेरे पर आरोप लगाया है, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वो आपकी आवाज नहीं है? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस बात की जांच करा लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं जीरो आवर को स्किप करता हूं, दो बजे वापस सदन जुटेगा, तब तक के लिए स्थगित करता हूं और उस समय केवल कार्यवाही चालू होगी सदन की। दो बजे तक स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.47 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।

आरोप

नेता, प्रतिपक्ष पर सट्टा लगाने का आरोप

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मुझे आप सदन चलाने देना चाहते हैं या नहीं, यह बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, बिलकुल चलाएं। अध्यक्ष महोदय, हम सदन चलाने के लिए ही...

श्री अध्यक्ष: या तो दोनों पक्ष मिलकर कोई रास्ता निकालें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, नहीं, चलाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 289 की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं जवाब देना चाह रहा हूं, व्यक्तिगत आरोप लगाया है मुझ पर। मैं जवाब देना चाह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप दे देना जवाब, कौन मना कर रहा है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। आप इनसे पहले मेरी बात सुनें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, प्रायोरिटी मेरी होगी। प्रायोरिटी मेरी होगी। व्यवस्था का प्रश्न पहले लिया जाता है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाया है, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं, क्यों नहीं ये जवाब सुनना चाह रहे हैं। ये जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं। क्या व्यवस्था... (व्यवधान) आपने सीधा मुझ पर आरोप लगा दिया, मैं जवाब देना चाह रहा हूं...(व्यवधान)।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) बात को तो सुनें, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहले व्यवस्था का प्रश्न लगाया है ... (व्यवधान)। अध्यक्ष जी, अनुमोदन दे सकते हैं। (व्यवधान) व्यवस्था पर सुनना पड़ेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) शर्म करें आप। शर्म करें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि किसी...(व्यवधान) अथवा वाद-विवाद के दौरान कोई व्यक्ति अथवा अपराधीकरण द्वारा इस बात का प्रकट करना चाहेगा... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। ये सुनना नहीं चाह रहे।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता का जवाब सुनिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री ने बिना नोटिस के जो व्यक्तिगत आरोप लगाया है, उनके आरोप पर पहले नेता प्रतिपक्ष जवाब देंगे। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): व्यवस्था का प्रश्न पहले सुना जाएगा। व्यवस्था का प्रश्न हमेशा पहले होता है। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

(आसन द्वारा संकेत से अंकित करने से मना किया गया)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री हरिसिंह रावत (भीम): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हाउस इन-आर्डर नहीं है। कोई प्रक्रिया चालू नहीं हो सकती, कोई बहस चालू नहीं हो सकती। हाउस को आर्डर में लाने की मैंने कोशिश की, हाउस आर्डर में नहीं आ रहा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: ...अत: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 19 फरवरी, 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.10 बजे सोमवार, दिनांक 19 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

निवाई में जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना

154. श्री हीरालाल निवाई (निवाई): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नया जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड/नियम निर्धारित हैं? मानदण्ड/नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति छात्र/छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में निवासरत जनजाति छात्राओं के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर व क्षेत्र में पूर्व में विभाग द्वारा स्थापित आवासीय विद्यालय को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता का आंकलन कर तथा क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या की बाहुल्यता, जनजाति जनसंख्या का घनत्व के साथ-साथ साक्षरता दर व उपलब्ध बजट प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये नवीन आवासीय विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया जाता है। (प्रदेश में नये जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय खोलने के कोई विभागीय स्तर पर मापदण्ड/नियम निर्धारित नही है)। एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय स्थापना हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) निवाई मुख्यालय पर पूर्व में ही विभाग द्वारा बालिका एकलव्य माडल रेजिडेन्सियल स्कूल संचालित किया जा रहा है। इस विद्यालय की क्षमता वर्ष 2016-17 में 350 से बढ़ाकर 480 की गई है। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। अत: नवीन बालिका आवासीय विद्यालय प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालोर में राजकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना

155. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालोर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में राजकीय विधि महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जालोर जिला मुख्यालय पर राजकीय विधि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बार कौन्सिल आफ इण्डिया के मानदण्डों के अनुसार प्रदेश में राजकीय विधि महाविद्यालय खोले जाते हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी में सीवर लाइन डालने की योजना

156. श्री गिर्राज सिंह (बाडी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका बाड़ी के शहरी क्षेत्र में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से शहर में कीचड़ एवं गन्दगी का ढेर लगा रहता है?

(2) क्या सरकार उक्त नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नगरपालिका बाडी में नई विकसित कालोनियों में बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाता है। उक्त समस्या के पूर्ण निदान हेतु 30 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की जाकर कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। नगरपालिका क्षेत्र बाडी में नियमित रूप से सफाई करवायी जा रही है तथा कचरे को प्रतिदिन उठवाकर ट्रैक्टरों से भूमि भरण स्थल पर कचरा डम्प किया जाता है।

(2) जी हां। राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के चतुर्थ चरण में बाडी शहर को सीवरेज कार्यों हेतु सम्मिलित किया गया है। परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एशियन विकास

(स्वायत्त शासन मंत्री)

बैंक के पास विचाराधीन है। परियोजना स्वीकृति उपरान्त सीवरेज कार्य करवाया जाना संभावित है।

ग्राम खेडा (बांदीकुई) के विद्यालय का क्रमोन्नयन

157. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नवगठित ग्राम पंचायतों में क्रमोन्नत होने से वंचित माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में नवगठित ग्राम पंचायत खेडी के ग्राम खेडा के विद्यालय को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के नवगठित ग्राम पंचायतों सहित समस्त ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने हैं। जिसकी पालना में सत्र 2014 से 2017 तक 5505 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा 305 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जा चुके है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की नवगठित ग्राम पंचायत खेडी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेडा को राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये गये हैं।

मकराना विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

158. श्री श्रीराम भींचर (मकराना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में कितने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीराम भींचर)

(2) उक्त केन्द्रों पर कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में स्वीकृत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मकराना में 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बालाजी कालोनी एवं गुणावती स्वीकृत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में राजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब एवं अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुणावती (मकराना) में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदौन्नत चिकित्सकों से/सर्टिफिकेट कोर्स फार स्पेशियलाइजेशन कोर्स/पीजी पूर्ण करने के उपरान्त चिकित्सक उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अराजपत्रित संवर्ग के पदों के पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक उपरान्त भरने के प्रयास किये जायेंगे। सीधी भर्ती के पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रिक्त पद पूर्णतया संविदा आधारित पद है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अत: इन संविदा आधारित रिक्त पदों को नियमानुसार संविदा भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र ही भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) विधान सभा क्षेत्र मकराना के अन्तर्गत पंचायत समिति मकराना क्षेत्र आता है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति मकराना में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति मकराना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति मकराना में उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जायेंगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में कौशल विकास योजना पर व्यय राशि

159. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) प्रदेश में कौशल विकास एवं आजीविका मिशन द्वारा वर्तमान में कितनी योजनाएं किस-किस संस्था के माध्यम से कहां-कहां पर संचालित की जा रही हैं एवं उक्त योजना से कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना पर प्रारम्भ से 31 जनवरी, 2018 तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना से 31 जनवरी, 2018 तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्तमान में कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य चल रहे हैं व इन पर कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से वर्तमान में निम्न तीन योजनाएं प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जा रही हैं। योजनाओं का नाम तथा उनमें लाभान्वितों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की संख्या (योजना के आरम्भ से)**	**लाभान्वितों की संख्या (योजना के आरम्भ से)**
1.	रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)	269	190177
2.	नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)	96	18554
3.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	58	35284
	कुल	**423**	**244015**

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

योजनावार प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की सूची परिशिष्ट "अ-1,2,3" पर उपलब्ध है।

उक्त तीनों योजनान्तर्गत 160 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2018 को विभिन्न स्थानों पर 279 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) निगम द्वारा उक्त तीनों योजनाओं में 31 जनवरी, 2018 तक किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है-

योजना का नाम	**अवधि**	**व्यय राशि (रुपये करोड़ में)**
रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)	वर्ष 2012-13 से 31 जनवरी, 2018	156.35
नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)	वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी, 2018	8.48
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी, 2018	106.71
कुल		**271.54**

निगम द्वारा कौशल प्रशिक्षण हेतु जिलेवार राशि व्यय किये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को उनके द्वारा कौशल प्रशिक्षण हेतु संचालित बैच के अनुसार भुगतान किया जाता है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) में राशि प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को दिये गये लक्ष्यों के अनुसार अग्रिम रूप से देय है।

(3) स्वरोजगार हेतु निगम द्वारा नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत 31 जनवरी, 2018 तक 18554 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 6796 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के द्वारा स्वरोजगार से जोड़ा गया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में पूर्व में दो कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये गये थे जिनमें कुल 134 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

था। उक्त युवाओं के प्रशिक्षण हेतु राशि रु. 16,11,200 का प्रावधान किया गया था। भुगतान प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में मारवाड़ जंक्शन में कोई कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवजीवन योजनान्तर्गत बालक-बालिकाओं के शिक्षण पर व्यय राशि

160. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नवजीवन योजना में जुड़ी जातियों के बालक-बालिकाओं हेतु शिक्षा का प्रावधान किये जाने के बाद कब-कब किस-किस मद में, प्रति छात्र कितनी-कितनी राशि प्रति वर्ष सम्बन्धित विद्यालयों को दी दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में शिक्षा हेतु उक्त योजना में क्या-क्या प्रावधान हैं?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष से उक्त योजना में विद्यालयों को दिये जाने वाले शिक्षण शुल्क में अत्यधिक बढ़ोत्तरी कर दी गई है लेकिन अन्य मद वाहन शुल्क, पुस्तकें, ड्रेस आदि का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व में रखे गये प्रावधानानुसार शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों में भी पूर्व के प्रावधानों को जारी रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवजीवन योजना में सम्मिलित लक्षित समूह के बालक-बालिकाओं जो निजी प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क एवं अन्य मदो मे सम्बन्धित विद्यालयों को पुर्नभरण की जाने वाली प्रावधित राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में वर्ष 2017-18 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत शिक्षण शुल्क व स्टेशनरी राशि का पुर्नभरण किये जाने का प्रावधान है।

(3) जी हां। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क एवं स्टेशनरी राशि का पुनर्भरण किया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अधिनियम में अनुमत राशि के अनुसार प्रावधान किये जाने के कारण शिक्षण शुल्क की राशि गत वर्षों में प्रावधित राशि की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही वाहन शुल्क, गणवेश मदो पर राशि के पुर्नभरण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था।

विभागीय आदेश क्रमांक 11099 दिनांक 12.02.2018 द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत वर्तमान अनुज्ञेय राशि के अन्तर्गत फीस एवं अन्य पुर्नभरण राशि अधिकतम 14141 रुपये का वर्गीकरण शिक्षण शुल्क, परिवहन व्यय, गणवेश, स्टेशनरी आदि मदों में पुर्नभरण हेतु पूर्व के प्रावधानों के अनुसार मदवार वर्गीकरण के आदेश जारी किये जा चुके हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में पेंशनरों को वितरित दवाइयों का लम्बित भुगतान

161. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पेंशनर्स को देय दवाओं की सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा खरीद के क्या नियम हैं?

(2) भीलवाड़ा जिले में गत तीन वित्तीय वर्षो में सहकारी संस्थाओं द्वारा पेंशनर्स को वितरित की गई दवाइयों के पेटे हुई खरीद फरोख्त, कोषागार से प्राप्त भुगतान, बिलों में हुई कटौतियों एवं लम्बित भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में दवाइयों की खरीद एवं भुगतान के सम्बन्ध में गत 2 वर्षो में किस-किस व्यक्ति/संस्था से, कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई व उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी शिकायतें, किस-किस प्राधिकारी के पास कब से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में जांच हेतु किसी को अधिकृत किया गया है? यदि हां, तो किसको?

उत्तर

(1) पेंशनर्स को देय दवाओं की सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा स्वयं अपने स्तर पर खरीद की जाती है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी

(सहकारिता मंत्री)

आदेश क्रमांक फा.112(27) सविरा/मार्के/पीडीएस/लूज दिनांक 11/09/13 की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

(2) भीलवाड़ा जिले में गत तीन वित्तीय वर्षों में सहकारी संस्थाओं द्वारा पेंशनर्स को वितरित की गई दवाइयों के पेटे हुई खरीद फरोख्त, कोषागार से प्राप्त भुगतान, बिलों में हुई कटौतियों एवं लम्बित भुगतान का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) भीलवाड़ा जिले में सहकारी संस्थाओं द्वारा दवाइयों की खरीद व भुगतान के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था से विभाग को विगत 2 वर्षों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) भीलवाड़ा जिले में सहकारी संस्थाओं द्वारा दवा खरीद एवं भुगतान के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण किसी को जांच हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झाड़ोल में विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

162. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की पंचायत समिति झाड़ोल, फलासिया व कोटड़ा में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 31 दिसम्बर, 2017 तक जनजाति क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई व उसमें से अब तक कितनी राशि का व्यय किया गया? कितना व्यय किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये व उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए व कितने कार्य किन कारणों से लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जनजाति बाहुल्य उक्त विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल (फ.) की पंचायत समिति झाड़ोल, फलासिया व कोटड़ा में वित्तीय वर्ष 2015-16 से अब तक जनजाति की विभिन्न निर्माण योजनाओं पर राशि रु. 1649.47 लाख बजट स्वीकृत हुआ।

स्वीकृत बजट में से अब तक राशि रु. 1150.34 लाख का व्यय किया गया। वर्तमान में राशि रु. 499.13 लाख का व्यय किया जाना शेष है ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत बजट से संलग्न सूची अनुसार विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल (फ.) की पंचायत समिति झाड़ोल, फलासिया व कोटड़ा में वित्तीय वर्ष 2015-16 से अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं सिंचाई से सम्बन्धित निर्माण कार्य करवाये गए जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है

कुल स्वीकृत 43 कार्यों में से 23 कार्य पूर्ण, 16 प्रगति व 4 कार्य अप्रारम्भ हैं। इन अप्रारम्भ 4 कार्यों में से 2 कार्यों का कार्यादेश जारी होना बाकी है। 1 कार्य हेतु जगह का चयन नही हुआ है तथा 1 कार्य विवादित की श्रेणी में है ।

(3) भारत सरकार से प्राप्त राशि का आबंटन विधान सभा क्षेत्रवार नहीं किया जाता है। बजट की उपलब्धता, कार्य की आवश्यकता एवं उपादेयता के अनुसार निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कालेज शिक्षकों को शोध कार्य हेतु देय अवकाश

163. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कार्यरत कॉलेज शिक्षकों को सामान्य विषयों एवं शोध कार्य के लिए कौन-कौन से अवकाश किन-किन शर्तों पर देय हैं तथा एक शिक्षक शोध कार्य के लिए नियमानुसार कितने अवधि एवं कितने अवसर ले सकता है तथा अवकाश उपभोग करने के बाद परिणाम रूप में शोध प्रस्तुत करने की क्या-क्या शर्तें हैं?

(2) गत 15 वर्ष में किन-किन व्याख्याताओं को शोध अवकाश एवं शोधवृति स्वीकृत की गयी व कितनों ने इसका लाभ लिया? अवधि, अवसरों व नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध शोध अवकाश का लाभ लेने वाले शिक्षकों से वसूली करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन से एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कालेज शिक्षकों को अन्य कार्मिकों की भांति राजस्थान सेवा नियम, भाग-प्रथम के अध्याय 10 व 11 में विहित प्रावधानों/शर्तो के अन्तर्गत अवकाश देय है तथा शोध कार्य हेतु शिक्षक अध्येतावृति योजना (टी.आर.एफ.) एवं पोस्ट डाक्टरल फैलोशिप (पी.डी.एफ.) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रावधानों/शर्तो के अन्तर्गत कॉलेज व्याख्याताओं को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम पांच वर्ष एवं दो अवसरों में अकादमिक अवकाश स्वीकृत किये जा सकते है।

(2) कॉलेज शिक्षा के जिन व्याख्याताओं को गत 15 वर्षो में शोध कार्य हेतु अवकाश स्वीकृत किया गया है। उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। नियम विरुद्ध शोध अवकाश का लाभ उठाने वाले शिक्षकों का मामला ध्यान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली नगर परिषद् में पाइप लाइन डालने में अनियमितता

164. श्री दर्शन सिंह (करौली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद करौली द्वारा गत 3 वर्षो में डाली गयी पाईप लाईन का ठेकेदारों को भुगतान किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि एन एच 11 एवं चम्बल योजना के तहत शिफ्टींग लाइनें व उक्त योजना के तहत डाली गई पाइप लाइनों की गुणवत्ता में भारी अनियमितता पायी गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद करौली द्वारा उक्त शिकायतें प्राप्त होने व ठेकेदार द्वारा निकाले गये पुराने पाईपों को बेच देने के उपरान्त भी भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री दर्शन सिंह)

(4) क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां। नगर परिषद, करौली द्वारा गत 3 वर्षों में दो स्थानों पर पाइप लाइन डाली गई है। जिनमें से एक कार्य विधायक मद/कोष से 5.50 लाख का स्वीकृत किया था तथा एक कार्य परिषद द्वारा शहर करौली में परकोटा बाहर डीआई पाईप लाईन व एचवीपीई पाइप लाइन सप्लाई व जोड़ने के कार्य शहरी जल योजनान्तर्गत स्वीकृत किया गया था। विधायक मद से स्वीकृत कार्य के पेटे संवेदक को 457731/- रुपये का भुगतान किया गया तथा परिषद द्वारा अपने स्तर पर स्वीकृत कार्य में संवेदक को 665419/- रुपये का भुगतान किया गया।

(2) राजस्थान राज्य परियोजना अन्तर्गत आरयूआईडीपी यूनिट करौली के अधिकार क्षेत्र वाली प्रभावित पाइप लाइन के टुकडों की जगह नई पाइप लाइन डाले जाने के कार्य व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज. की सवाईमाधोपुर जिले की परियोजना प्रभावित पाइप लाइन की इकजाई स्वीकृति सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार (मोर्थ) द्वारा दिनांक 12.10.2015 को राशि रुपये 351.88 लाख की जारी की गई। निविदा प्रक्रिया के बाद कार्य का कार्यादेश परियोजना निदेशक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान राज्य मार्ग (विश्व बैंक) प.क्रि.ई. गंगापुरसिटी के पत्र दिनांक 03.03.2016 द्वारा राशि रुपये 2,93,74,601/- का मैसर्स श्री मांगीलाल विश्नोई, भीलवाड़ा के पक्ष में जारी किया गया है। इस कार्य का सुपरवीजन दिनांक 27.07.2016 तक आरयूआईडीपी यूनिट करौली व तत्पश्चात नगर परिषद, करौली द्वारा किया जा रहा है। सुपरवीजन एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य में उपयोग लिये जाने वाले पाइपों की गुणवत्ता की जांच कर क्यू.ए.पी. अनुमोदित की गई है। सुपरवीजन एजेन्सी द्वारा कार्य में उपयोग लिये जाने वाले पाईपों की गुणवत्ता में अनियमितता की कोई रिपोर्ट प्रेषित नही की गई है।

(3) आरयूआईडीपी यूनिट करौली द्वारा इस एस्टीमेट में प्रभावित जल पाइप लाइन के स्थानों पर सड़क के बाहर नई जल पाइप लाइन डालकर उसे सड़क के बाहर स्थित पुरानी जल पाइप लाइन से जोड़े जाने के कार्य

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सम्मिलित किये गये थे। इस एस्टीमेट में प्रभावित पुरानी जल पाइप लाइन के टुकड़ों को खोदकर निकाले जाने का कोई कार्य सम्मिलित नहीं था। इस कार्य का सुपरवीजन दिनांक 27.07.2016 तक आरयूआईडीपी यूनिट करौली व तत्पश्चात नगर परिषद, करौली द्वारा किया जा रहा है। सुपरवीजन एजेन्सी द्वारा पुराने पाइप निकाले जाने या प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में न तो कोई रिपोर्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.रा. मार्ग (विश्व बैंक) प.क्रि.ई. गंगापुरसिटी को प्रस्तुत की गई है ओर ना ही पुराने पाईप की कोई रिकवरी बिल में प्रस्तुत की है। कार्य के पेटे अभी तक आरयूआईडीपी द्वारा प्रस्तुत प्रथम रनिंग बिल पेश हुआ है, जिसके पेटे राशि रुपये 1,50,54,573/- का भुगतान मार्च, 2016 में किया गया है। नगर परिषद, करौली द्वारा अभी तक भुगतान हेतु कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(4) प्रकरण की जिला कलक्टर, करौली से जांच करवाई जा रही है, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को एक्सीलेंस स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना

165. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को एक्सीलेंस स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो प्रदेश के कितने विद्यालयों को एक्सीलेंस स्कूल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है और अब तक प्रदेश के किन-किन जिलों से किन-किन विद्यालयों का चयन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों के चयन का आधार क्या है, कोटा जिले में एक्सीलेंस स्कूल के चयन के लिए किन-किन विद्यालयों को किस आधार पर सम्मिलित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) एक्सीलेंस स्कूल के रूप में चयनित विद्यालयों में कौन-कौनसी सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी व विद्यालय स्टाफ को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जायेगा तथा उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलेगा? योजना का वर्तमान प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित एक राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इस योजना के तहत अभी तक 4690 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा चुका है।

प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट अभिभाषण में राज्य के समस्त जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पूर्व से स्थापित आदर्श विद्यालय की मेन्टरशिप में एक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित करने का लक्ष्य निर्धारित (प्रथम चरण 2016-17 में 4289 तथा द्वितीय चरण 2017-18 में 5381 उत्कृष्ट विद्यालय) किये जाने के फलस्वरूप उत्कृष्ट विद्यालय योजना में विद्यालयों को चयनित किया जाकर उन्हें Centre of Excellence के रूप में स्थापित करने के उद्वेश्य की क्रियान्विति के मद्देनजर इनमें पर्याप्त शिक्षक एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाने सम्बन्धी प्रयास निरन्तर जारी है। शाला दर्शन पोर्टल से दिनांक 01.02.2018 को जेनरेटेड रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कुल 1243 राप्रावि एवं 8326 राउप्रावि उत्कृष्ट विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय योजना में चयनित है, जिलेवार उत्कृष्ट विद्यालय योजना में चयनित विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

निर्धारित लक्ष्य संख्या एवं वर्तमान में चयनित विद्यालयों की संख्या में अन्तर का कारण कई चयनित विद्यालयों द्वारा चयन के मापदण्ड पूरे नहीं करने के कारण इस योजना से हटाया जाना रहा है।

(2) एक्सीलेंस विद्यालय नामक कोई विद्यालय वर्तमान में संचालित नहीं है। Centre of Excellence के रूप में उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत विकसित किए जा रहे उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन का आधार विद्यालय का नामांकन एवं उनमें उपलब्ध अन्य आधारभूत सुविधाएं हैं। उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत विद्यालय चयन के सम्बन्ध में दिनांक 18.02.2016 की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

शाला दर्शन पोर्टल से जेनरेटेड रिपोर्ट दिनांक 01.02.2018 के अनुसार कोटा जिले में उत्कृष्ट विद्यालय योजना में चयनित विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

वर्तमान में कोटा जिले में उत्कृष्ट विद्यालय योजना में 13 राप्रावि एवं 136 राउप्रावि कुल 149 विद्यालय चयनित विद्यालयों के चयन का आधार भी शासन के आदेश दिनांक 18.02.2016 की अनुपालना में नामांकन एवं उपलब्ध अन्य आधारभूत सुविधाएं ही हैं।

(3) एक्सीलेंस विद्यालय नामक कोई विद्यालय वर्तमान संचालित नहीं है।

Centre of Excellence के रूप में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत विकसित किए जा रहे उत्कृष्ट विद्यालयों की भौतिक अवसंरचना सुदृढ़ करना, कम्प्यूटर लैब की स्थापना एवं संचालन, विद्यालय परिसर का सोन्दर्यकरण, दानदाताओं/भामाशाहों के माध्यम से खेलकूद सुविधाएं उपलब्ध करवाना, कक्षा-कक्ष एवं विद्यालय परिसर का माहौल विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी बनाना, मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण, मैदान समतलीकरण करवाना, विद्यालय में शिक्षक/अन्य कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता, विद्यालयों के प्रभावी संचालन, शैक्षिक गुणवत्ता, न्यून अधिगम स्तर वाले विद्यालयों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, संस्था प्रधानों में नेतृत्व क्षमता का विकास आदि कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित होने वाले ऐसे राउप्रावि जिनमें कल्प लैब संचालित था, ऐसे विद्यालयों के कल्प लैब को निकटतम उत्कृष्ट विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। उक्त दिशा में विभाग निरन्तर प्रयासरत है तथा इन विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण, खेल मैदान आदि के निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान से उपलब्ध राशि के साथ-साथ अन्य विभागों में चल रही योजनाओं यथा-mnerga/dmft/badp/tsp/magra/dang/mewat/gurugowalkar/sfc/ffc/mp/mla-lad/csr/ दानदाताओं-भामाशाहों आदि के माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु प्रयास किये जा रहे है। इसके अलावा DFMT (the district Mineral Foundation Trust) में उपलब्ध राशि से भी उत्कृष्ट विद्यालयों में भौतिक अवसंरचनाओं के विकास का प्रयास किया गया है।

विद्यालयों के सुदृढ़ भौतिक वातावरण एवं अच्छी मानवीय व भौतिक सुविधाओं से विद्यार्थियों का लाभान्वित होना स्वाभाविक है। उपर्युक्त प्रयासों

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

से इन विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार परिलक्षित हुआ है। प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-प्रत्र परीक्ष (कक्षा-8 हेतु) एवं जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5 हेतु) में इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अन्य सामान्य विद्यालयों से बेहतर रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में डेंगू/स्वाईन फ्लू के रोगियों के उपचार की व्यवस्था

166. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत चार वर्षों में प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने रोगियों की डेंगू एवं स्वाईन फ्लू से मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने रोगियों की स्क्रब टाइफस, मलेरिया एवं चिकनगुनिया से मृत्यु हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस एवं स्वाईन फ्लू के गंभीर रोगों से बचाव एवं उपचार की क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत चार वर्षों में डेंगू से हुई मृत्यु का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर एवं स्वाईन फ्लू से हुई मृत्यु का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में गत चार वर्षों में स्क्रब टाइफस एवं मलेरिया से हुई मृत्यु का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

प्रदेश में चिकनगुनियां से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

(3) प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस एवं स्वाईन फ्लू से बचाने एवं उपचार हेतु राज्य के सभी जिलों में घर-घर सर्वे कर एन्टी लार्वा गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं। चिकित्सालयों में रोगियों के निदान, जांचे एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिलों में रेपिड रेस्पोन्स टीमें गठित की गई हैं। चिकित्सा संस्थानों पर औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सभी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जिलों में 24 X 7 कन्ट्रोल रूम एवं राज्य स्तर पर टोल फ्री नं. 104 निरन्तर कार्यरत है। उच्च स्तर पर इन रोगों से बचाव एवं उपचार की कार्यवाही की समीक्षा की जा रही है। आमजन को जागरूक करने के लिए समाचार पत्र व इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

167. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जुलाई, 2017 में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ शहर में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने की घोषणा की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त संस्थान में दो ट्रेड के साथ ही संस्थान का नाम करमा बाई राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ करने की घोषणा भी की गई थी? यदि हां, तो कब व उसकी अनुपालना में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लक्ष्मणगढ़ के महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम करमा बाई के नाम पर करने तथा दो ट्रेड के साथ इसे प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा विधान सभा बजट सत्र में दिनांक 24.03.2017 को माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के स्थगन प्रस्ताव नियम 50 दिनांक 24.03.2017 के क्रम में दिये गये जवाब में आश्वासन दिया गया कि हमारी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विजन है महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होनें का मौका मिले, तो माननीय मुख्यमंत्री के विजन को देखते हुये निश्चित रूप से हम जुलाई तक आपकी आईटीआई चालू कर देंगे । (परिशिष्ट-1)

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ हेतु आवश्यक पदों की स्वीकृति हेतु विभाग के पत्रांक 23.02.2017 के क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 12.12.2017 को 6 पद कृत कर दिये गए हैं। परिशिष्ट-2

स्वीकृत व्यवसायों के लिये साजो सामान निदेशालय स्तर पर क्रय किये जा रहे हैं। आगामी प्रशिक्षण सत्र अगस्त 2018-19 से प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया जायेगा ।

(2) जी हां। राजकीय आईटीआई, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात उक्त आईटीआई का नाम करमा बाई करने हेतु करमा बाई ट्रस्ट/सोसायटी से आज दिनांक तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उसका आंकलन कर राज्य सरकार को प्रेषित कर करमा बाई का नाम स्वीकृत करवाना विचाराधीन है।

(3) वर्तमान में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम करमा बाई के नाम पर करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सरकार इस संस्थान में दो स्वीकृत व्यवसाय "इलेक्ट्रीशियन" एवं बेसिक कोस्मेटोलोजी आगामी सत्र 2018-19 से आरम्भ करने का विचार रखती है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जन सुनवाई का आयोजन

168. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2015 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के पश्चात् अब तक कितनी जन सुनवाई के आयोजन किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जन सुनवाई में से कितने प्रकरणों को आयोग के सम्मुख पेश किया गया? पेश किये गये प्रकरणों में आयोग ने क्या-क्या कार्यवाही की व सम्बन्धित विभाग को क्या-क्या निर्देश दिये तथा विभाग ने उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आयोग द्वारा उक्त प्रकरणों में से कौन-कौन को दोषी पाया व उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(4) क्या यह सही है कि आयोग द्वारा प्रकरण में पीड़ित बच्चे तथा उनके अभिभावकों को सहायता/अनुदान दिलवाया गया है? यदि हां, तो किन-किन को? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन उपरान्त 2010 से अब तक आयोग कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को एवं अध्यक्ष महोदया सदस्यगणों एवं सदस्य सचिव महोदय द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में की गई यात्राओं के दौरान जनसुनवाई कर बाल अधिकारो के उल्लंघन से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है।

(2) उक्त जनसुनवाई में कुल 593 प्रकरण प्राप्त हुये। प्राप्त प्रकरणों की सूची व सम्बन्धित विभागों को दिये गये निर्देशों एवं विभागों द्वारा की गई कार्यवाही प्रकरणवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) आयोग द्वारा स्वयं के स्तर पर दोषी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है। अपितु सम्बन्धित विभागो को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(4) आयोग द्वारा स्वयं के स्तर पर पीड़ित को किसी भी प्रकार की सहायता राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में रबी की कृषि जिंसों की खरीद

169. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर जिले में आगामी रबी फसल की कृषि जिंसों को खरीदने हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितनी-कितनी कृषि जिसे सरकार द्वारा खरीदी गई? जिंसवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रबी 2018 में राज्य सरकार द्वारा गेहूं की खरीद की पूरी

(सहकारिता मंत्री)

तैयारियां कर ली गई हैं तथा किसानों का पंजीकरण कोटा संभाग में 14 फरवरी से व अन्य संभागों में 1 मार्च से प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त रबी 2018 में भारत सरकार से खरीद की अनुमति प्राप्त होने पर समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत सरसों एवं चने की खरीद भी की जावेगी। इस हेतु शीघ्र ही भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इस बाबत मंडी शुल्क में छूट देने एवं राजफैड को 500.00 करोड़ रु. का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा 2018-19 बजट भाषण में की जा चुकी है।

(2) वर्ष 2016-17 में राजफैड द्वारा नेफैड के निर्देशानुसार पीएसएफ योजनान्तर्गत मूंग/चना की खरीद की गयी है। रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत श्रीविजयनगर क्षेत्र में 9335.60 क्विन्टल मूंग एवं 5039.90 क्विन्टल चना क्रय किया गया है।

वर्ष 2016-17 में रायसिंहनगर में समर्थन मूल्य पर 118919.50 क्विन्टल गेहूं की खरीद की गयी है।

कृष्ण सर्किट योजना में कोटा के मन्दिर को सम्मिलित करने की योजना

170. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के कृष्ण मन्दिरों को ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से संरक्षित एवं विकसित करने के लिए कृष्ण सर्किट योजना बनाई गई है? यदि हां, तो वल्लभ सम्प्रदाय की प्रथम पीठ श्री मथुराधीश मन्दिर, पाटनपोल, कोटा को उक्त योजना में शामिल नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मन्दिर को उक्त योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक 16.09.2016 के द्वारा राशि रुपये 9144.99 लाख की कृष्णा सर्किट

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें प्राथमिक रूप से राज्य के तीन कृष्ण मंदिरों का चयन किया गया है।

(2) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृष्णा सर्किट परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है।

केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में जब कभी इस विषयक प्रस्ताव मांगे जाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रदेश में वनवासियों के खारिज दावों का पुनरावलोकन

171. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत भूमि सम्बन्धी दावों/पट्टों का निस्तारण किया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2006 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कितने प्रकरण लम्बित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वनवासियों के वर्षो से लम्बित भूमि सम्बन्धी दावों/पट्टों के निस्तारण को तीव्र गति देने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा पात्र वनवासियों को जमीन का स्वामित्व सौंपने हेतु खारिज दावों का पुनरावलोकन करने के भी निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो गत पांच वर्षो में कितने दावे खारिज किये गये तथा कितनों का पुनरावलोकन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत कुल प्राप्त 74159 दावों में से 73643 दावों का निस्तारण किया जा चुका है। प्राप्त एवं निस्तारण दावों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्ष 2006 से लेकर अब तक 516 प्रकरण लम्बित हैं। लम्बित प्रकरणों की जिलेवार स्थिति निम्नानुसार हैं

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र.सं.	**जिला**	**शेष दावें**
1	प्रतापगढ़	53
2	डूंगरपुर	6
3	उदयपुर	120
4	सिरोही	15
5	बारां	277
6	चित्तौड़गढ़	45
	योग	**516**

(2) वनवासियों की सालों से लम्बित भूमि सम्बन्धी दावों/पटटों के निस्तारण को तीव्र गति देने की दृष्टि से जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार से माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को पत्र दिनांक 12.06.2015 प्राप्त हुआ जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ""प्रगति"" बैठकों में भी लम्बित दावों/वनाधिकार पत्रों के निस्तारण की समीक्षा की जाकर निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि पात्र वनवासियों को जमीन का स्वामित्व सौंपने हेतु खारिज दावों का पुनरावलोकन के निर्देश प्रदान किये गए हैं।

पिछले 5 वर्षों में 7814 दावे दस्तावेजों के अभाव में खारिज किये गये एवं 5857 दावों का पुनरावलोकन किया गया। जिसकी जिलेवार सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

वर्तमान में भी अब तक निरस्त किए गए समस्त दावों की समीक्षा (Review) करने के निर्देश दिऐ गए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के लिये महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने की योजना

142. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में उक्त प्रणाली लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रणाली के तहत प्रदेश में भी अधिकार व शक्तियां देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार (वित्त विभाग) के यू ओ नोट दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में महाराष्ट्र प्रणाली अपनाये जाने सम्बन्धित प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। उक्त विषय से सम्बन्धित आदेश परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) दिनांक 28.12.2016 को आयोजना विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है । परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त के अतिरिक्त जनजाति उपयोजना प्रवाह अन्तर्गत मांग संख्या 30 में समस्त विभागों द्वारा जनजाति विकास हेतु पृथक् से प्रावधान कर स्वीकृत योजनाओं में राशि विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर व्यय की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले के गांवों को टाडा-माडा योजना में सम्मिलित करने की कार्य-योजना

143. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हमीरसिंह भायल)

(1) प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में कौन-कौन से वर्ग समूह को सम्मिलित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए टाडा-माडा योजना चलाई जा रही है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीमावर्ती एवं पिछड़े जिले बाड़मेर व जैसलमेर जिलों को भी उक्त योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना को जनसंख्या के आधार पर लागू किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर जिले के प्रत्येक गांव में निवासरत अनुसूचित जनजाति को आधार मानकर उक्त योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के तहत आने वाले वर्ग समूह की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र व परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा) अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस सम्बन्ध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी, 1981 की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

अनुसूचित क्षेत्र-राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित 5 जिलों की 23 तहसीलों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित 5 जिलों में बांसवाड़ा व डूंगरपुर सम्पूर्ण जिले, उदयपुर की सात पूर्ण तहसीलें एवं तहसील गिर्वा के 123 ग्राम व तहसील गोगुन्दा के 52 ग्राम तथा प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद, धरियावद व पीपलखूंट तहसीलें तथा सिरोही जिले की आबूरोड पंचायत समिति सम्मिलित है। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है।

माडा- जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुडे हुए हों व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है। अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र (माडा, माडा कलस्टर, बिखरी, सहरिया) में आने वाले क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों के अनुमोदन होने के पश्चात माडा क्षेत्र के गठन/विस्तार के प्रस्ताव तैयार किये जाने प्रस्तावित हैं। बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों के गांव यदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करते हैं तो माडा क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित किया जावेगा।

(4) हां। सरकार द्वारा जनसंख्या को आधार मानकर तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति उपरांत अनुसूचित जनजाति के लोगो को अनुसूचित क्षेत्र-माडा योजना में लाभ हेतु उनके गांवों का चयन किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र-माडा योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आधार मानकर क्षेत्र विकास एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को आधार मानकर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा के स्वास्थ्य केन्द्रों का पी.पी.पी. मोड पर संचालन

144. डॉ. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सहाडा के किस-किस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र को पी.पी.पी. मोड़ पर दिया जाना प्रस्तावित है? उक्त निर्णय किन मानदण्डों के आधार पर लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट एवं इससे संबंद्ध उप स्वास्थ्य केन्द्रों को गत 2 वर्षों के स्वास्थ्य सूचकांक कम होने के कारण पीपीपी मोड पर देने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर गत 2 वर्ष की ओपीडी, आईपीडी एवं प्रसव संख्या परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के चिकित्सा केन्द्रों का पी.पी.पी. मोड पर संचालन

145. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के चिकित्सा केन्द्रों को पी.पी.पी. मोड पर संचालन करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना कब प्रारम्भ की गई व इसे कितने चरणों में पूरा किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत चिकित्सा केन्द्रों के संचालन के लिए निजी संचालकों को किस प्रकार भुगतान किया जाएगा व उक्त केंद्रों पर कार्यरत राजकीय कर्मचारियों का समायोजन किस प्रकार होगा तथा उनके स्थान पर निजी कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के प्रथम चरण में किन-किन चिकित्सा केन्द्रों का पी.पी.पी. मोड पर चलाने हेतु चयन किया गया व अब तक कितने चिकित्सा केन्द्रों का संचालन पी.पी.पी. मोड पर प्रारम्भ कर दिया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा बजट घोषणा 2015-16 अनुसार प्रदेश के चिकित्सा केन्द्रों को पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना जून 2016 से प्रारम्भ की गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन 3 चरणों में कुल 98 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हस्तान्तरित किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

केन्द्रों को पीपीपी मोड पर देने (एक बारीय) का एक चरणीय कार्य अक्टूबर 2017 से प्रारम्भ किया गया।

चिकित्सा शिक्षा के विभाग के अधीन एसएमएस मेडिकल कालेज द्वारा मेट्रोमास अस्पताल को पीपीपी मोड पर सितम्बर 2012 को दिया गया था।

(2) चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु सेवा प्रदाता को भुगतान निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार किये गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु सेवा प्रदाता को त्रैमासिक अग्रिम भुगतान किया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा के विभाग के अधीन एसएमएस मेडिकल कालेज द्वारा मेट्रोमास अस्पताल को अनुबन्ध शर्तों के प्रावधान अनुरूप कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।

उक्त योजना के तहत हस्तान्तरित चिकित्सा संस्थानों पर पूर्व में पदस्थापित कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर इन्हें अन्यत्र चिकित्सा संस्थानों पर रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।

सेवा प्रदाता द्वारा हस्तान्तरित चिकित्सा संस्थानों पर स्वीकृत पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुरूप कार्मिकों की सूची चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाएगी। अनुमोदन पश्चात इनकी नियुक्ति सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कुल 98 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पीपीपी मोड पर चलाने हेतु चयन किया गया है। इनमें प्रथम चरण में 41 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन 50 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। इनमें से 30 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को संचालित कर दिया गया है व 8 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को किया जाना प्रक्रियाधीन है। 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अनुबंध करना प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के माध्यम से पीपीपी मोड पर मेट्रोमास अस्पताल, जयपुर का संचालन किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालू का भवन निर्माण

146. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कितने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की घोषणा की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त घोषित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है उनकी स्वीकृतियां कब तक जारी कर दी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालू की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों व अब स्वीकृति कब तक जारी कर उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य भवन के निर्माण के लिए वर्क आर्डर कब से जारी कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में बजट घोषणा वर्ष 2017-18 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालूगांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने एवं ग्राम पंचायत अर्जूनसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा की गई है। जिनका विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्जुनसर को खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु राशि रु. 185.00 लाख का प्रस्ताव आगामी परियोजना में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालू के भवन निर्माण हेतु पी.आई.पी. 2018-19 परियोजना में राशि रु. 525.00 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में चिकित्सकों की निजी प्रेक्टिस रोकने हेतु स्क्वाड की नियुक्ति

147. श्री रमेश (सपोटरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजकीय चिकित्सक निजी चिकित्सालयों में इलाज या ऑपरेशन आदि का कार्य कर सकता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को प्रदेश के कई सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी अस्पतालों में ऑपरेशन करने एवं इलाज करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस चिकित्सक के विरुद्ध, कब एवं क्या? जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2017 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निजी प्रेक्टिस को रोकने हेतु किसी स्क्वाड की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो कब तक एवं उक्त स्क्वाड द्वारा अब तक कितने चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा निजी चिकित्सालयों में इलाज या ऑपरेशन का कार्य नहीं किया जा सकता है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों द्वारा निजी अस्पतालों में आपरेशन करने एवं इलाज करने से सम्बन्धित शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों द्वारा निजी अस्पतालों में आपरेशन करने एवं इलाज करने से सम्बन्धित शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों से सम्बन्धित शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों से सम्बन्धित शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा निजी प्रेक्टिस रोकने हेतु परिपत्र दिनांक 07-09-2017 को जारी किया गया है। उक्त परिपत्र के अन्तर्गत समिति के गठन के आदेश संभागीय आयुक्त द्वारा जारी किये जाते है जिसके अनुसार सम्बन्धित संभाग में फलाईग स्क्वाड स्थापित किया जाकर समय-समय पर निजी चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण कर इस प्रकार की गतिविधियो पर निगरानी रखी जाती है। संभागीय आयुक्त द्वारा उक्त समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाई जाती है जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा दोषी चिकित्सक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग को सीधे ही प्राप्त शिकायतों पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। फ्लाइंग स्क्वार्ड द्वारा डा. शिखा सोनी एवं डा. प्रदीप शर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर द्वितीय जोधपुर के स्तर पर जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परिपत्र एवं 6 संभाग स्तर पर गठित फ्लाइंग स्क्वाड का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद

148. श्री हीरालाल निवाई (निवाई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के कौन-कौनसे व कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सा केन्द्रों में उक्त प्रकार के कितने पद कहां-कहां व

(श्री हीरालाल निवाई)

कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में महिला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ व अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से व कहां-कहां तथा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के स्वास्थ्य केन्द्रों में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों के स्वीकृत पदों का संख्यावार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) उक्त चिकित्सा केन्द्रों में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों का रिक्ति की दिनांक सहित विवरण क्रमशः परिशिष्ट-स एवं द पर संलग्न है।

राजपत्रित संवर्ग में विशेषज्ञों के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/सर्टिफिकेट कोर्स फार स्पेशियलाइजेशन कोर्स/ पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगें। चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अराजपत्रित संवर्ग के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त तथा सीधी भर्ती के पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी हां। विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों पर सामान्य चिकित्सा अधिकारीयों का पदस्थापन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है। रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशियलाइजेशन कोर्स/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगें।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी में संस्कृत कालेज की स्थापना

149. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बूंदी जिले में वर्तमान में कितने संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में पर्याप्त संस्कृत विद्यालयों के मद्देनजर जिला मुख्यालय बूंदी पर संस्कृत कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन बूंदी जिले में 29 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर गुणावगुण के आधार पर बूंदी जिला मुख्यालय पर संस्कृत कॉलेज खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन में महाविद्यालय की स्थापना

150. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी महाविद्यालय खोलने के क्या-क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं होने के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र के मारवाड़ जंक्शन व रानी में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सरकारी महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन व रानी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर के संस्कृत विद्यालयों का क्रमोन्नयन

151. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में कुल कितनें राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में नये संस्कृत विद्यालय खोलने एवं संचालित संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग के अजमेर जिले में 06 राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, 10 प्रवेशिका, 14 उच्च प्राथमिक एवं 26 प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। अजमेर जिले में संचालित राजकीय संस्कृत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर गुणावगुण के आधार पर नये विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पद

152. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सोजत राजकीय महाविद्यालय में कितने संकाय संचालित हैं? संकायवार छात्र-छात्राओं की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में कुल कितनें व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं? संकायवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में विषय व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों पर व्याख्याताओं की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, सोजतसिटी में कला, विज्ञान एवं

(उच्च शिक्षा मंत्री)

वाणिज्य संकाय संचालित है, संकायवार छात्र-छात्राओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

संकाय	**छात्र**	**छात्राएं**	**योग**
कला	294	501	795
विज्ञान	178	152	330
वाणिज्य	147	099	246
कुल योग	**619**	**752**	**1371**

(2) राजकीय महाविद्यालय, सोजतसिटी में कुल 15 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं। संकायवार व्याख्याताओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

संकाय	**व्याख्याताओं की संख्या**
कला	07
विज्ञान	05
वाणिज्य	03
कुल योग	**15**

(3) जी हां। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

प्रश्न संख्या 153

(स्थगित)

सवाई माधोपुर में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना

154. राजकुमारी दिया कुमारी (सवाई माधोपुर): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में दुग्ध अवशीतन केंद्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में पूर्व से ही दुग्ध अवशीतन केन्द्र स्थापित है । अत: इस सम्बन्ध में वर्तमान में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

बेगूं में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना

155. श्री सुरेश धाकड (बेगूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 2013 पश्चात कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोली गई? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 2013 पश्चात् 8 ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोली गई, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के नवीन मानदण्ड

156. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वृद्धावस्था व विधवा महिलाओं को पेंशन वितरण करने के नवीनतम मानदण्ड क्या निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त पेंशन के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितने लोगों को पेंशन वितरित की गई? वर्षवार, जिलेवार व वर्गवार आवेदकों की संख्या तथा लाभार्थियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत कितने लोगों ने उक्त पेंशन के लिए आवेदन किया तथा कितनें लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा महिलाओं को पेंशन वितरण करने के नवीनतम मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। पूर्व में प्रभावी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों का सरलीकरण करते हुए दिनांक 01.04.2013 से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

2013 लागू किये गये हैं। नियमों (यथा संशोधित) की प्रति परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षो में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं लाभार्थियों का वर्षवार, जिलेवार एवं वर्गवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

(3) प्रशासन गांवों की ओर संग कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त एवं स्वीकृत किये गये आवेदनों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई में देवनारायण योजना के तहत छात्रावास की स्थापना

157. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा देवनारायण योजनान्तर्गत गत 4 वर्षों में किस-किस जिले में किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत दौसा जिले में कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत हुए व उनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दौसा के बांदीकुई में उक्त योजनान्तर्गत छात्रावास एवं बालिका विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवनारायण योजनान्तर्गत गत चार वर्षो में आवंटित बजट एवं कार्यो का विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) देवनारायण योजनान्तर्गत दौसा जिले में स्वीकृत कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	कार्य की स्थिति
1	देवनारायण आदर्श छात्रावास दौसा (स्वीकृत छात्रा क्षमता 50)	96.00	पूर्ण एवं संचालित

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	कार्य की स्थिति
2	देवनारायण आदर्श छात्रावास बांदीकुई (स्वीकृत छात्र क्षमता 50)	96.00	पूर्ण एवं संचालित
3	देवनारायण आवासीय विद्यालय अमरपुर, महुआ (छात्रा क्षमता 280)	967.00	भवन निर्माण पूर्ण एवं संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन

(3) दौसा जिले के बांदीकुई में देवनारायण आदर्श छात्रावास (स्वीकृत छात्र क्षमता 50) स्वीकृत है। छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं निर्मित भवन में संचालित है। क्षेत्र की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता पर हास्टल एवं बालिका विद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सादुलपुर में संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास

158. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में वर्तमान में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कितने छात्रावास कहां-कहां पर संचालित हैं तथा उक्त छात्रावासों में बालक-बालिकाओं की कितनी संख्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं वार्डन के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमे से कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिन छात्रावासों में कम्प्यूटर उपलब्ध है, उनमें बच्चों को कम्प्यूटर सिखाने के लिए अध्यापक की व्यवस्था है? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त छात्रावासों में बच्चों के खाने-पीने एवं अन्य कार्यों पर कितनी राशि व्यय होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में वर्तमान में 2 छात्रावास संचालित हैं:-

1. राजकीय अम्बेडकर (अनु. जाति) बालक छात्रावास सादुलपुर (राजगढ़) जिसकी स्वीकृत क्षमता संख्या 50 छात्रों की है, जिसमें वर्तमान में 48 छात्र प्रवेशित हैं।
2. राजकीय सावित्री बाई फुले (अनु. जाति) कन्या छात्रावास राजगढ, जिसकी स्वीकृत क्षमता 50 छात्राओं की है, जिसमें वर्तमान मे 34 छात्राएं प्रवेशित हैं।

(2) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक के 1+1 कुल 2 पद स्वीकृत हैं, उक्त दोनों पद भरे हुए हैं जिनमें विभाग के स्थायी छात्रावास अधीक्षक क्रमश: श्री ओमप्रकाश शिवराण एवं श्रीमती सुमन पदस्थापित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में संचालित दो छात्रावासों में से एक छात्रावास राजकीय अम्बेडकर (अनु. जाति) छात्रावास सादुलपुर (राजगढ़) में कम्प्यूटर उपलब्ध है, कम्प्यूटर सिखाने के लिये अन्य अध्यापक लगाने के प्रावधान नहीं होने के कारण अन्य अध्यापक की व्यवस्था नहीं है।

छात्रावासों में पदस्थापित छात्रावास अधीक्षक RS-CIT से कम्प्यूटर प्रशिक्षित है।

(4) उक्त छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क भोजन साम्रगी ईंधन (कुकिग के लिये) मौसमी सब्जियां व फल, दूध, स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते-मौजे एवं गर्म जर्सी, बाल कटाई, चद्दर तकिया खोली एवं खेस आदि की धुलाई, बिजली-पानी, समाचार-पत्र पत्रिकाएं आदि के लिये 2000 रुपये प्रति विद्यार्थियों प्रतिमाह की दर से 9.5 माह हेतु 19000 रुपये प्रति विद्यार्थीयों व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसका विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में लक्ष्मीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति की मिथिला विहार योजना का नियमन

159. श्री कुंजीलाल (बामनवास): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति

(श्री कुंजीलाल)

द्वारा मिथिला विहार प्रथम योजना में जगतपुरा, जयपुर में प्लाट काटे गये थे? यदि हां, तो उक्त योजना कब से पंजीकृत है व वर्तमान में कौन-कौन से प्लाट किस-किस व्यक्ति के नाम से दर्ज है? सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना की 90बी की कार्यवाही हो चुकी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कालोनी की 90बी की कार्यवाही करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कालोनी का नियमन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति ने मिथिला विहार प्रथम ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर में प्लाट काटे गये हैं। उक्त योजना दिनांक 20.08.99 को जविप्रा कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। उक्त योजना गैर-अनुमोदित है। सोसायटी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र परिशिष्ट "अ" एवं सदस्यता सूची की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मिथिला विहार प्रथम ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर की 90बी कार्यवाही नहीं हुई है। जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक जविप्रा/जोन सी-2/डी-2815 दिनांक 24.10.2002 द्वारा स्टेशन प्रभारी 759, सब एरिया एयरफोर्स स्टेशन जयपुर को एयरफोर्स हेतु अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति दी हुई है, प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। पुन: विंग कमाण्डर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने अपने पत्र दिनांक 21.03.13 द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में यथा स्थिति रखे जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है, प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है, इसलिये वर्तमान में 90बी की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(3) जी नहीं। खण्ड-2 अनुसार एयरफोर्स से अवाप्ति नहीं किये जाने के निर्णय पश्चात् ही कार्यवाही की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिवदासपुरा (जयपुर) में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की कार्य-योजना

160. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या टोंक रोड़, शिवदासपुरा-जयपुर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाना सरकार के विचारधीन है? यहि हां, तो उक्त योजना में कुल कितनी भूमि किन-किन गांवों की अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट योजना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब-कब उच्च स्तरीय बैठक की गई और उसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की उक्त योजना के लिए फिजीबिलिटी स्टडी कर ली गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो फिजीबिलिटी स्टडी किये बिना उक्त योजना किस आधार पर प्रस्तावित की गई?

(4) क्या उक्त ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट योजना के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति ले ली गई है? यदि हां, तो उक्त योजना हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजे गये प्रस्ताव की प्रति और प्राप्त अनुमति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रस्तावित योजना में धार्मिक अतिशय क्षेत्रों के ग्रामों को भी अवाप्ति में शामिल किया गया है और इसका विरोध भी हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापनों और उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त प्रस्तावित योजना में प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के ग्रामों की भूमि को अवाप्ति से मुक्त रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। टोंक रोड, शिवदासपुरा-जयपुर में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट/एरोट्रोपॉलिस बनाने की योजना है। उक्त योजना में कुल 20 ग्रामों की कुल 2081.54 है. भूमि अवाप्त की जानी प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जिसमें ग्रामों, खसरों की संख्या व भूमि का क्षेत्रफल दिखाया

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

गया है। योजना का ले-आउट प्लान तैयार नहीं किया गया है, गूगल मानचित्र पर योजना बाउण्ड्री को मार्क किया हुआ नक्शा परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.07.2008, 06.04.2015, 23.10.2017, 11.01.2018 एवं 23.01.2018 को उच्च स्तरीय बैठक की गई और उसमें लिये गये निर्णय की प्रति परिशिष्ट "स(i)(ii)(iii)(iv)" पर संलग्न है। दिनांक 23.01.2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता वाली बैठक के मीटिंग नोटिस परिशिष्ट "(v)" पर संलग्न है। किन्तु बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदन प्रक्रिया में है।

उक्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के एवज में लगभग राशि 2500 करोड रुपये मुआवजा दिये जाने का आकलन किया गया है। विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार की उक्त योजना के लिए फिजीबिलिटी स्टडी नहीं की गई है। उक्त योजना हेतु फिजीबिलिटी स्टडी प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट योजना के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) जी हां। उक्त प्रस्तावित योजना में धार्मिक अतिशय क्षेत्र ग्राम बाडा पदमपुरा (धर्मपुरा) में जैन मंदिर की भूमि शामिल थी। इस सम्बन्ध में श्री जैन श्वेताम्बर तपागच्छ संघ (पंजीकृत) जयपुर की ओर से बाडा पदमपुरा जैन मंदिर एवं बरखेडा जैन मंदिर के अतिशय क्षेत्र को अवाप्ति से मुक्त रखने हेतु निवेदन किया गया था। ज्ञापन एवं विरोध पर बाडा पदमपुरा जैन मंदिर व इसके धार्मिक अतिशय क्षेत्र की भूमि को अवाप्ति से बाहर किया गया है। ज्ञापन की प्रतियां परिशिष्ट "य" पर संलग्न हैं।

(6) प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ग्राम बाडा पदमपुरा (मक्सूदनपुरा) में जैन मंदिर के अतिशय क्षेत्र की भूमि को अवाप्ति के पश्चातवर्ती प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है। अन्य धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापनों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण एवं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट योजना प्रभावित नहीं हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने की कार्य-योजना

161. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत 4 वर्ष में कब-कब स्वच्छता सर्वेक्षण किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक स्वच्छता सर्वेक्षण में प्राप्त रिपोर्ट की प्रति सहित जिलेवार रैंक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में निम्न स्तर पर आने वाले जिलों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रथम बार वर्ष 2016 में देश के दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 73 शहरों का "सर्वेक्षण 2016" करवाया गया। इस सर्वेक्षण में राज्य के 3 बडे शहर यथा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा सम्मिलित थे। भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 की रैंकिंग में जयपुर 29वें स्थान पर, जोधपुर 57 एवं कोटा 58वें स्थान पर रहे। प्रथम सर्वेक्षण की सफलता को देखते हुये भारत सरकार द्वारा द्वितीय सर्वेक्षण 2017 करवाया गया। जिसमें भारत के 500 अमृत शहरों में राज्य के 29 अमृत शहर सम्मिलित थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में राज्य की निकायों की रैंकिंग का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में अच्छी रैकिंग प्राप्त करने हेतु प्रदेश स्तर पर तथा निकाय स्तर पर किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ का गठन

162. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदेश के अनेक लोग/श्रमिक

(श्री जोगाराम पटेल)

आजीविका के लिए राज्य से बाहर देश-विदेश में जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी समस्या के समाधान हेतु "राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ" का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तत्वाधान में राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ द्वारा प्रवासी श्रमिकों के हित में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं सम्बन्धित भारतीय दूतावास के माध्यम से विभिन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु प्रभावी भूमिका निभाई जा रही है। राज्य के इच्छुक युवाओं को जागरूकता शिविरों के माध्यम से सूचना, मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जा रहा है।

जयपुर के नाहरी का नाका क्षेत्र में प्लाटों का आबंटन

163. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नगर निगम, जयपुर के विद्याधर नगर जोन के अन्तर्गत नाहरी का नाका क्षेत्र में नायक बस्ती-शान्ति नगर व बलाई बस्ती कालोनियां स्थित हैं? यदि हां, तो उक्त कालोनियों में कितने प्लाट किस-किस के नाम आबंटित हैं? नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनियां तत्कालीन नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा आबंटित भूमि पर बसाई गई थीं? यदि हां, तो आबंटी के नाम व प्लाट नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास द्वारा आबंटित करने के बाद भी नगर निगम, जयपुर द्वारा उक्त कालोनियों के प्लाटों का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से प्लाट नंबरों का? आबंटी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कालोनियों में विवादित प्लाटों के पट्टे जारी नहीं करने के सम्बन्ध में नगर निगम, जयपुर में कोई ज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा व उन पर क्या कार्यवाही की गई? प्राप्त ज्ञापनों की प्रति व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त कालोनियों के आबंटन की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी। हां। उक्त कालोनियों के नक्शें की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। शेष भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

(3) जी नहीं। उक्त कालोनियों में नगर निगम, जयपुर द्वारा कोई आबंटन नहीं किया गया है, केवल पट्टे दिये गये हैं।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के विश्वेसरिया नगर, 10-बी स्कीम में पार्क का निर्माण

164. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विश्वेसरिया नगर 10-बी स्कीम के नजदीक गोपालपुरा मोड़ स्थित प्लाट संख्या 172 के सामने सुविधा क्षेत्र के नाम से आरक्षित भूमि को अतिक्रमण से बचाने के उद्देश्य से वहां छोटा पार्क विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विश्वेसरिया नगर 10-बी स्कीम के निकट सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 10-बी में भूखण्ड संख्या बी-175 (भूखण्ड संख्या 172 भी सामने स्थित है) के दक्षिण ओर स्वीकृत सुविधा क्षेत्र का जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (एल.पी.) की 231वीं बैठक दिनांक 09.10.2015 में अंतिम उपयोग (End Use) पार्क निर्धारित किया गया है। निर्णय प्रति परिशिष्ट "अ" एवं अनुमोदित मानचित्र में पार्क की स्थिति दर्शाते हुए प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। अनुमोदित मानचित्र अनुसार पार्क का निर्माण 4650 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। जिसमें लगभग 2950 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पार्क विकसित कराने हेतु वर्ष 2014 में 220 मीटर लम्बाई में राशि रुपये 5.14 लाख का व्यय किया जाकर चारदीवारी का निर्माण कराया गया है। शेष

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्षेत्रफल 1700 वर्गमीटर में लगभग 140 मीटर लम्बाई में मौके पर अतिक्रमण होने की स्थिति में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं कराया जा सका है।

मौके पर मौजूदा अतिक्रमण में से दिनांक 12.09.2017 को मौजूदा अस्थायी टीन शेड मकान व शेड (मवेशी), दीवार एवं कच्चे लेटबाथ को ध्वस्त कर हटाया जा चुका है एवं शेष पक्के निर्माणों को हटाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतिक्रमण हटाने के पश्चात उपरोक्त वर्णित पार्क की शेष रही बाउण्ड्रीवाल पाथ-वे निर्माण एवं पार्क से सम्बन्धित अन्य विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

(2) विश्वेसरिया नगर 10-बी स्कीम के नजदीक की कालोनियों में सड़कें बनी हुई हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिला मुख्यालय पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

165. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किस-किस जिले में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दौसा जिला मुख्यालय पर उक्त संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 08 राजकीय महिला आईटीआई संचालित हैं एवं 03 नई महिला आईटीआई क्रमश: लक्ष्मणगढ़ (सीकर), बांसवाड़ा, टोंक स्वीकृत की गई हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। माननीय मुख्यमंत्री महोदया के बजट घोषणा वर्ष 2018-19 में राजकीय आईटीआई, दौसा में महिला विंग खोला जाना प्रस्तावित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में होटलों के लिये भूमि का आबंटन

166. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में होटलों के लिए भूमि आबंटन के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो कब से? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा राजस्थान पर्यटन इकाई नीति लागू करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो उक्त नीति की वर्तमान स्थिति क्या है? ड्राफ्ट नीति पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगरीय विकास विभाग और राजस्व विभाग की नीतियों के विरुद्ध शहरी क्षेत्र में होटल खोलने के लिए जमीन का आबंटन आवासीय डी.एल.सी. दर पर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि डी.एल.सी. दर पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? सम्बन्धित नियम/परिपत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निविदा प्रक्रिया के बिना सीधे ही भूमि का आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि आबंटन के प्रावधान निम्नानुसार है -

1. राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2015 में पर्यटन इकाइयों को भूमि आबंटन हेतु प्रावधान उपलब्ध है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।
2. उक्त भूमि आबंटन के प्रावधानों की अनुपालना में राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पर्यटन इकाइयों को भूमि आबंटन किये जाने के सम्बन्ध में अपनी-अपनी अधिसूचना\ आदेश क्रमशः दिनांक 22.05.2015, 06.06.2015, 10.07.2015 एवं 21.01.2016 को जारी किये गये हैं। जिसकी प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।
3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.01.2018 को राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2015 के भूमि आबंटन सम्बन्धी प्रावधान को संशोधित किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(2) राज्य में राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015 दिनांक 03.06.2015 को लागू की जा चुकी है।

(3) राज्य सरकार द्वारा रिसर्जेन्ट राजस्थान-2015 के अन्तर्गत हस्ताक्षर किये गये एम.ओ.यू. जिनमें राजकीय भूमि का आबंटन निहित है एवं पर्यटन इकाई नीति-2007 के अन्तर्गत राजकीय भूमि पर पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये प्रोजेक्ट्स के लिए ही यह प्रावधान लागू होगा। शेष पर्यटन इकाइयों हेतु आवंटन पर्यटन इकाई नीति-2015 में दिनांक 23.01.2018 के संशोधन से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा मंत्रीमण्डल की आज्ञा 03\2018 की अनुपालना में राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015 में उपरोक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु संशोधन किया गया है, जिसकी अनुपालना में दिनांक 23.01.2018 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

(4) राज्य सरकार द्वारा रिसर्जेन्ट राजस्थान-2015 के तहत किये गये एम.ओ.यू. एवं राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2007 के तहत राजकीय भूमि पर अनुमोदित किये गये पर्यटन इकाई के प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु बिना निविदा प्रक्रिया के सीधे ही निवेशक को भूमि आबंटन किये जाने हेतु राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015 में संशोधन दिनांक 23.01.2018 को जारी किया गया है।

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2007 से 2015 तक अनुमोदित पर्यटन इकाइयों के भूमि आबंटन के मामलों में कोई विशेष प्रगति नहीं होने कारण तथा रिसर्जेन्ट राजस्थान-2015 के तहत किये गये एम.ओ.यू. में काफी प्रयासों के बाद भी भूमि आबंटन के प्रकरणों में कोई प्रगति\कार्यवाही नहीं हो पाई। अत; जनहित में यह आवश्यक था कि जो प्रोजेक्ट 2007 से अब तक लम्बित चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी धरातल पर आयें, जिससे उनका लाभ पर्यटन और रोजगार क्षेत्र को मिल सके, इस हेतु उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015 में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पर्यटन विकास निगम के होटल-मोटल को बन्द करने की योजना

167. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि राजमार्गों पर खोले गये पर्यटन विकास निगम के होटलों को केन्द्र सरकार की स्कीम वे साइड फैसिलिटीज के तहत राशि प्राप्त होती है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में किस-किस होटल को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत राशि प्राप्त करने वाले ऐसे कौन-कौन से होटल-मोटल हैं? जिनको सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया अथवा बन्द करना प्रस्तावित है? बन्द करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिन होटल-मोटल को बन्द किया गया अथवा बन्द किया जाना प्रस्तावित है, उनमें से कितने होटल-मोटल वर्तमान में आर्थिक लाभ में चल रहे थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजमार्गों पर खोले गये राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कारपोरेशन के होटलों को केन्द्र सरकार द्वारा स्कीम वे साइड फैसिलिटीज योजना के तहत राशि प्राप्त होती है।

गत 4 वर्षों में निगम की होटल\मार्गस्थ सुविधाओं हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली स्वीकृति\राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) निगम की होटल/मोटल को केन्द्र सरकार द्वारा स्कीम वे साइड फैसिलिटीज योजना के तहत गत 4 वर्षों में स्वीकृत राशि प्राप्त इकाइयों में से निम्न इकाइयों का संचालन बन्द किया गया है -

- मोटल देवगढ़, राजसमन्द।
- होटल गवरी ऋषभदेव, उदयपुर।
- मोटल रतनपुर, डूंगरपुर।

निगम को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ किये जाने हेतु पर्यटन निगम के अध्याधीन परिसम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने तथा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर इन्हें श्रेणीवार निस्तारित किये जाने के प्रस्ताव का मंत्रीमण्डल द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया, इसकी पालना में पीडीकोर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विगत कई वर्षों से इनका हानि में संचालन होने के कारण बन्द किया गया है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(3) राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा बन्द किये गये होटल\मोटल विगत कई वर्षों से निरन्तर हानि में चल रहे थे। विवरण की सूची परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण

168. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के कक्षा-कक्षों की कमी वाले विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कक्षाकक्षों की कमी वाले राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण को सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में प्रस्तावित किया गया है। इनकी स्वीकृति भारत सरकार के वित्तीय संसाधनों की पारस्परिक उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कक्षाकक्षों की कमी वाले राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रदेश के सभी विद्यालय जिनमें कक्षाकक्षों की कमी/निर्माण कराना है, उनके लिये विभिन्न मदों से वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य करवाया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में कृषि विज्ञान संकाय की स्थापना

169. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगागनर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

वर्तमान में किस-किस प्रकार के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भर दिये जायेगे? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे कौन-कौन से संकाय संचालित हैं व उनमें कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में कृषि विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में संवर्गवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त तथा पद कब से रिक्त हैं, का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड तथा विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित है और उनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का संख्या विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) बजट घोषणा 2017 के अनुसार पंचायत समिति मुख्यालय पर संचालित कम से कम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनमें विज्ञान संकाय के अन्तर्गत पांचों विषय के अध्ययन की सुनिश्चितता के क्रम में कृषि विज्ञान विषय खोले जाना था उन विद्यालयों में कृषि विज्ञान विषय खोला जा चुका है। यथानुसार श्रीगंगानगर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अनुपगढ़, नई मण्डी घड़साना, करणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर एवं सूरतगढ़ सम्मिलित है। अन्य विद्यालयों के लिये वर्तमान में बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि विषय खोल सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय सुजानगढ़ का संचालन

170. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री खेमाराम)

(1) क्या सरकार सुजानगढ़ के राजकीय पी.सी.बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय को प्रारम्भ करने के लिये पुस्तकालय प्रभारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त पुस्तकालय को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सार्वजनिक पुस्तकालय की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पुस्तकालय में कितनी व कौन-कौनसी पुस्तकें, कब तक उपलब्ध करवायी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय पीसीबी उमावि सुजानगढ़ के परिक्षेत्र में सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय का भवन बनाया हुआ है। विभागीय पदोन्नति समिति से पात्र आशार्थी प्राप्त होने पर रिक्त पद को भरा जा सकेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2016-17 में 11वें वित्त आयोग एवं लेवी से कुल राशि रुपये 12500/- आबंटित की गई थी।

(3) यह पुस्तकालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थित है। पुस्तकालय की सुरक्षा भी विद्यालयी सुरक्षा के साथ सम्बद्ध है।

(4) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता एवं सरकार की समतुल्य योजनान्तर्गत इस चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय पुस्तक चयन एवं क्रय की जाने वाली पुस्तकों का चयन किया जावेगा। तदोपरान्त ही सम्बन्धित पुस्तकालय को पुस्तकें उपलब्ध कराई जायेंगी।

जमवारामगढ़ के विद्यालयों को पी.पी.पी. मोड पर देने की योजना

171. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों

(श्री जगदीश नारायण)

को निजी हाथों में देने की कार्य- योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किस-किस राजकीय विद्यालय को निजी हाथों में दिया गया है तथा उनको निजी हाथों में देने के क्या मानदंड रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) Policy for Public Private Partnership in School Education, 2017 के अन्तर्गत अनुमति दी गई थी, परन्तु आदेश दिनांक 07.02.2018 द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता नीति 2017 के क्रियान्वियन को विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापन/आपत्तियों/सुझावों पर विचार कर राज्य सरकार को अनुशंसा किये जाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने एवं अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने तक सार्वजनिक निजी सहभागिता नीति 2017 के क्रियान्वियन को स्थगित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रदेश में निजी क्षेत्र के संचालन हेतु अभी तक कोई राजकीय विद्यालय निजी पार्टनर को नहीं दिया गया है। राजकीय विद्यालयों को पी.पी.पी. मोड पर दिये जाने के उद्देश्य/कारण/आधार Policy for Public Private Partnership in School Education, 2017 में उल्लेखित है और यह ओपन निविदा के आधार पर आनलाइन की गयी थी जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। ओपन आधार पर है

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)